मुख्य बातें

इस समीक्षा में 246 टी डी एस यूनिटों, 174 नियमित निर्धारण इकाइयों और 15 अन्तर्राष्ट्रीय कराधान इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी और 32630 मामलों की नमूना जांच की गयी। लेखापरीक्षा में 12814 मामलों में गलतियां पाई गई जिनमें 389.20 करोड़ रूपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था; इसकी उद्ग्राह्य शास्ति 63.23 करोड़ रूपए थी। निर्धारण से छूट गयी आय, टी डी एस की कटौती न करने/कम कटौती करने से सम्बन्धित मामले जिनमें संभावित राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त थी, 52.90 करोड़ रूपए के थे। इसमें अनिवासियों/ विदेशी कम्पनियों के 82 मामलों में पायी गयी गलतियां भी शामिल थीं जिसमें 204.19 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

संव्यवहारों, जिन्हें टी डी एस योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है, की संख्या में दर्ज की गयी वृद्धि और अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि के बावजूद विगत वर्षों में प्रभावी करदाताओं की संख्या में कमी हुई।

(पैरा 2.9.1.4)

लेखापरीक्षा द्वारा संगृहीत डाटा में बीमा कमीशन, पुनर्बीमा कमीशन, अनिवासियों को भुगतानों और शराब की बिक्री से टी डी एस और टी सी एस के लिए बड़ी संभाव्यता दर्शायी गयी।

(पैरा 2.9.3 एवं 2.14.1)

लेखापरीक्षा में उन 72 मामलों में गलतियां ध्यान में आई जहां 39.79 करोड़ रूपए की आय, जिसपर टी डी एस काटा गया, निर्धारण से छूट गयी जिसमें 14.97 करोड़ रूपए की राजस्व हानि अन्तर्ग्रस्त थी।

(पैरा 2.11.1)

टी डी एस की कटौती न करने/कम कटौती करने से सम्बंधित गलतियां 273 मामलों में पाई गई जिसमें ब्याज और शास्ति सहित 77.04 करोड़ रूपए का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 2.11.2)

पी ई के गलत अवधारण के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और फीस के रूप में अनिवासियों की आय से कम दरों पर कर की कटौती से सम्बन्धित गलतियां 9 मामलों में पाई गई जिनमें 58.97 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 2.10.1)

एन आर आई/विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में टी डी एस की कटौती न करने के मामलों में व्यय को अननुमत करने की विफलता 19 मामलों में पाई गई जिनमें 93.13 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 2.10.2)

34 मामलों में सरकारी लेखा में टी डी एस को प्रेषित करने की विफलता से 6.92 करोड़ रूपए के राजस्व की संभावित हानि दर्शायी गयी।

(पैरा 2.11.3)

332 मामलों, जिनमें 45.45 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, में उस व्यय को अननुमत करने की विफलता पायी गयी जिस पर कर नहीं काटा गया था अथवा कटौती के बाद निर्धारित समय के अन्दर पूर्व वर्ष के दौरान सरकारी लेखा में प्रदत्त नहीं किया गया।

(पैरा 2.11.5)

1 दिन से 1406 दिनों तक के विलम्ब के साथ विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने के 10549 मामले ध्यान में आए और इन मामलों में उद्ग्राह्य शास्ति 5.54 करोड़ रूपए थी।

(पैरा 2.11.7)

5 राज्यों में उचंत में रखे गए टी डी एस क्रेडिट में 2002-03 (799.37 करोड़ रूपए) से 2005-06 (10011.49 करोड़ रूपए) तक की अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी।

(पैरा 2.12.2)

ई- टी डी एस की समीक्षा में दर्शाया गया कि दाखिल की गयी ई- टी डी एस विवरणियां व्यापक रूप से साफ्टवेयर सम्बन्धी कठिनाईयों और प्रशिक्षित श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण पिछले तीन वर्षों के लिए कार्रवाई किए बिना रहीं। मैगनेटिक मीडिआ में अभिलेखों के परिरक्षण और भंडारण के लिए भी कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं थी।

(पैरा 2.13

लेखापरीक्षा में 16 मामलों में स्त्रोत पर कर का संग्रहण करने की चूक से सम्बन्धित गलतियां पाई गई जिनमें 3.90 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 2.14.3) लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

- मंत्रालय अधिनियम के अन्तर्गत यथापेक्षित करजाल में सभी कर कटौतीकर्ताओं को लाने और टी डी एस/टी सी एस की वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकता है।
- निर्धारण में संगतता को सुनिश्चित करने और राजस्व की हानि को विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोकने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन तंत्र विकसित किया जाए। टी डी एस और नियमित निर्धारण इकाइयों और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के मध्य भी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- साफ्टवेयर से सम्बन्धित कठिनाइयों और प्रशिक्षित श्रमबल में अपर्याप्तता पर तुरन्त ध्यान दिया जाए ताकि ई- टी डी एस विवरणियों पर कार्रवाई की जाए और सरकार को देय राजस्व की उगाही की जाए। इसके अतिरिक्त मैगनैटिक माध्यम में अभिलेखों के भंडारण और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- टी डी एस/टी सी एस निर्धारण पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि सरकार को देय किसी राजस्व की शीघ्र उगाही सुनिश्चित की जा सके।

टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन पर समीक्षा

2.1 प्रस्तावना

प्रत्यक्ष करों में संसाधनों का जुटाना मुख्यतया दो स्तरों पर यथा निर्धारण से पूर्व और निर्धारण के बाद करों से उद्ग्रहण द्वारा किया जाता है। निर्धारण से पूर्व संग्रहण कई देशों में राजस्व के संग्रहण का मुख्य भाग बनते हैं चूंकि इसे निर्धारित करना, लागत प्रभावी बनाना संगत रूप से आसान होता है और यह राजस्व प्राधिकारियों पर दबाव कम कर देता है चूंकि करों के संग्रहण और जमा करने का भार भुगतानों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों (कर कटौतीकर्त्ताओं) पर अंतरित हो जाता है। दूसरी ओर निर्धारण के बाद संग्रहणों में राजस्व प्रशासन की ओर से अधिक संसाधनों का परिनियोजन अपेक्षित होता है।

2.1.1 निर्धारण से पूर्व संगृहीत प्रत्यक्ष करों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(i) स्रोत पर काटा गया कर (टी डी एस)
(ii) स्रोत पर संगृहीत कर (टी सी एस)
(iii) अग्रिम कर
(iv) स्वतः निर्धारण कर

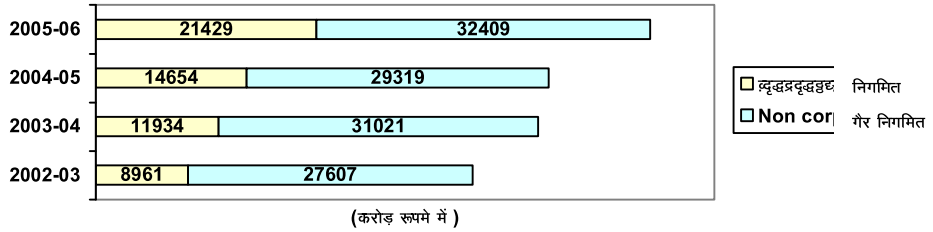
2.1.2 टी डी एस, जिसे संव्यवहारों, जिनमें अनिवासी अन्तर्ग्रस्त हों, के मामले में "रोके गए कर" के रूप में भी संदर्भित किया गया है, एक निर्धारिती द्वारा सुसंगत आय के प्राप्त होने से पहले ही उसके द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर सरकार को कर का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान करता है। स्रोत पर कर के संग्रहण का वहां सहारा लिया जाता है जहां निर्धारण से छूट गयी कर के लिए दायी आय के जोखिम की पहचान की जाती है और जहां बड़ी संख्या के कारण अंत में कर के संग्रहण की व्यवहार्यता भी नहीं पायी जाती जैसे शराब की बिक्री और वन उत्पाद के मामले में।

2.2 स्रोत पर कर की कटौती में प्रवृत्तियां

2.2.1 भारत में प्रत्यक्ष करों के निर्धारण से पूर्व संग्रहण (2005-06) में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहणों का 83 प्रतिशत शामिल होता है जिसमें से लगभग 33 प्रतिशत टी डी एस से आता है। टी डी एस उन गैर निगमित निर्धारितियों के सम्बन्ध में राजस्व की उगाही का प्रमुख तरीका है जिसमें उनके कर भुगतानों का लगभग 52 प्रतिशत शामिल है। निगमित और गैर निगमित निर्धारितियों से स्रोत पर काटे गए कर की प्रवृत्तियां नीचे चार्ट-I ♠ में दर्शायी गयी हैं।

♠ सुसंगत वर्षों के प्रत्यक्ष करों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अध्याय II

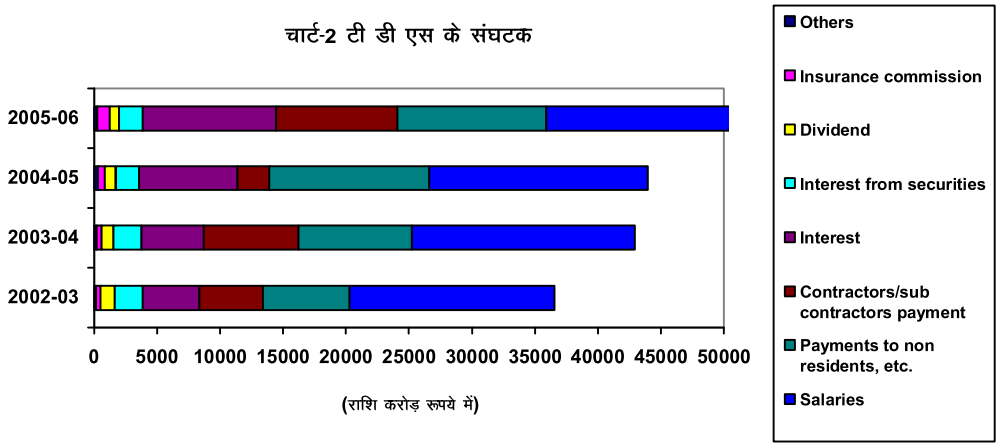
चार्ट - 1 स्त्रोत पर काटा गया कर



(करोड़ रूपमे में)

2.2.2 पिछले चार वर्षों के दौरान टी डी एस के संघटकों और वृद्धि का एक अध्ययन एक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है जैसाकि चार्ट- 2 में उल्लेख किया गया है

चार्ट-2 टी डी एस के संघटक



(राशि करोड़ रूपये में)

2.2.3 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान टी डी एस के प्रमुख संघटक वेतन, अनिवासियों को भुगतान, ब्याज और ठेकेदारों और उपठेकेदारों को भुगतान थे। इन स्त्रोतों ने मिलकर कुल टी डी एस संग्रहणों के लगभग 92 प्रतिशत का योगदान किया।

(करोड़ रूपए में)

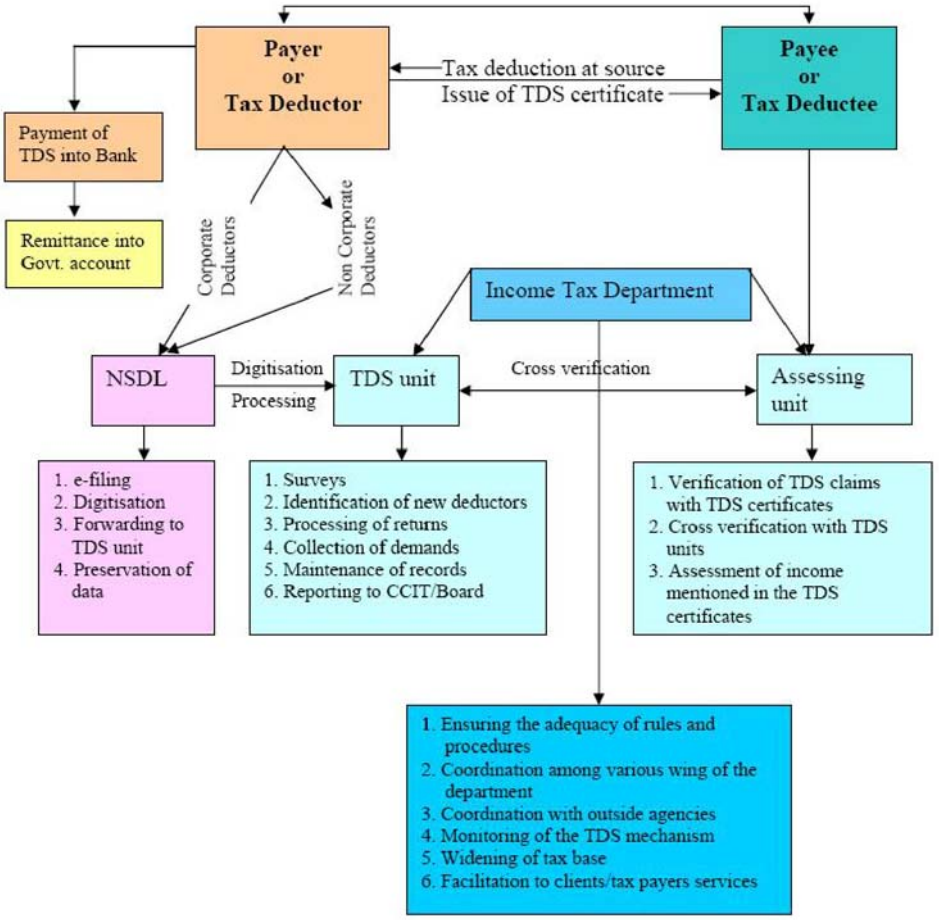
तालिका 1 : टी डी एस के संघटक

	2002-03	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
वेतन	16293	17712	17341	17941
अनिवासियों को भुगतान आदि	6884	8996	12711	11834
ठेकेदारों/उपठेकेदारों को भुगतान	5056	7543	2535	9638
ब्याज	4485	4930	7833	10585
प्रतिभूतियों से ब्याज	2232	2214	1849	1871
लाभांश	1098	950	852	752
बीमा कमीशन	384	434	523	967
अन्य	136	176	329	250
कुल संगृहीत टी डी एस	**36568**	**42955**	**43973**	**53838**

2.3 संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.3.1 टी डी एस का निर्धारण करने के लिए आई टी डी में एक समर्पित ढांचा है जिसमें मु आ क आ होता है जिसकी सहायता आ क आ/अपर आ क आ/सं आ क आ/ उप आ क आ/स आ क आ/ आ क अ द्वारा की जाती है। टी डी एस यूनिटों के कार्यों में सर्वेक्षणों द्वारा नए कर दाताओं की पहचान करना, डाटा बेस का सृजन, विवरणी दाखिल करने से रोकने/दाखिल न करने की पहचान करना, टेन का आबंटन, त्वरित संग्रहणों और प्रेषणों को सुनिश्चित करना, विवरणियों की कार्रवाई करने, निर्धारण इकाइयों के साथ समन्वय आदि शामिल है। के प्र क बो में सदस्य (राजस्व) टी डी एस प्रावधानों के प्रशासन और कार्यान्वयन का मानीटरन और समन्वयन करता है। विस्तार में टी डी एस कार्यकलापों का प्रवाह निम्नवत् हैः

Chart 3: Flow of TDS Activities



2.3.2 अनिवासियों के सम्बन्ध में नई दिल्ली में एक महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान है जिसका क्षेत्राधिकार नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद स्थित निदेशक, आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) तक विस्तारित है। टी डी एस से सम्बन्धित मामलों सहित सभी कर निर्धारणों पर इन अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। अन्य स्थानों में क्षेत्राधिकारिक मु आ क अ अनिवासियों के कराधान मामलों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

2.3.3 महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विभाग में कम्प्यूटरीकरण का प्रभारी होता है जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कार्यालयों को सुपुर्दगी और सहायता के अलावा हार्डवेयर और साफ्टवेयर का अधिग्रहण शामिल होता है। जहां तक टी डी एस तंत्र (ई- टी डी एस/ई- टी सी एस सहित) का सम्बन्ध है उनके कार्यों में गड़बड़ी दूर करना, सरलीकरण और परिवर्तन प्रबन्धन शामिल है।

2.4 विधि और क्रियाविधि

टी डी एस और टी सी एस के सम्बन्ध में विस्तृत क्रियाविधि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii -संग्रहण और वसूली में निर्धारित की गयी है। अन्य सम्बन्धित प्रावधानों में धारा 40 (ए)(i),40(ए)(i ए) 44 डी, 90,92,115ए और 195 शामिल हैं। टी डी एस/ टी सी एस विवरणियों पर कार्रवाई करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

2.5 समीक्षा के उद्देश्य

निम्नलिखित विशेष मुद्दों की यह सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा में जांच की गयी;

- टी डी एस/टी सी एस के लिए दायी संभावित कटौतीकर्त्ताओं/कार्यकलापों की पहचान करने की सीमा;
- अनिवासियों और निवासियों दोनों के सम्बन्ध में टी डी एस/टी सी एस से सम्बन्धी अधिनियम के प्रावधानों का लागू करना;
- टी डी एस/टी सी एस में लेखांकन क्रियाविधियों की परिशुद्धता; और
- ई- टी डी एस स्कीम का कार्यान्वयन

2.6 पिछला अध्ययन

टी डी एस की योजना की अंतिम बार लेखापरीक्षा में समीक्षा की गयी और नयी लागू की गयी धाराओं 194 सी और 194 ई के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 1999 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय 3 में इसकी रिपोर्ट की गयी। समीक्षा में ठेकेदारों/उपठेकेदारों और अनिवासी खिलाड़ियों/खेलकूद संघों को भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती न करने सम्बन्धी विफलताएं दर्शायी गयीं जिनमें 164.24 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

2.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

2.7.1 समीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

चालू अध्ययन में टी डी एस यूनिटों और निर्धारण इकाइयों दोनों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। संवीक्षा किए गए अभिलेखों में 246 टी डी एस यूनिटों, 174 निर्धारण इकाइयों और 15 अन्तर्राष्ट्रीय

कराधान इकाइयों में 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि तक रखी गयी विवरणियां (टी डी एस और आयकर विवरणियां दोनों), निर्धारण अभिलेख और सम्बन्धित रजिस्टर शामिल थे।

2.7.2 नमूना आकार

समीक्षा के लिए टी डी एस यूनिटों का चयन नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार था :

तालिका 2 : टी डी एस यूनिटों का चयन

क्रम संख्या	क्षेत्राधिकार	चुने गए आ क आ प्रभारों की संख्या (प्रतिशत में)	चुनी जाने वाली यूनिटों की संख्या *	कवरेज (प्रतिशत)
1.	4 महानगर, कर्नाटक और गुजरात	25	टी डी एस सर्किल	100
			टी डी एस वार्ड	50
2.	अन्य	30	टी डी एस सर्किल	100
			टी डी एस वार्ड	50

2.8 निकास सम्मेलन

एक निकास सम्मेलन 5 जनवरी 2007 को आयोजित किया गया जहाँ मंत्रालय में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गयी। मंत्रालय लेखापरीक्षा अध्ययन में उठाए गए मुद्दों की जांच करने पर सहमत हुआ।

2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

खंड क **टी डी एस के लिए दायी संभावित कटौतीकर्ताओं/ कार्यकलापों की पहचान करना**

लेखापरीक्षा में वर्तमान करदाताओं द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में क्रियाविधियों की पर्याप्तता की जांच करने और कर जाल में नए सत्तवों को लाने के लिए भी मांग की गयी। लेखापरीक्षा जांच के परिणामों का नीचे उल्लेख किया गया है।

2.9.1 कर कटौतीकर्ताओं की पहचान और पंजीकरण

2.9.1.1 टी डी एस/टी सी एस योजना की परिधि में संभावित कर कटौतीकर्ताओं की पहचान करने के विचार से लेखापरीक्षा में उन कार्यकलापों/सत्वों का आक्कलन करने के लिए स्वंतत्र रूप से प्रयास किया गया जिन्हें करदाताओं के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। डाटा का संकलन महाविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं, खजाना अधिकारियों आहरण और संवितरण अधिकारियों आदि को कवर करते हुए किया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतया उपलब्ध स्त्रोतों से थे जिनमें सांविधिक संगठनों (भा रि बैं, वि अ आ

* *चुनी गयी यूनिट नमूना आकार में वे टी डी एस/टी सी एस विवरणियाँ शामिल थीं जो 10 लाख रूपए से अधिक की हों (100 प्रतिशत) और निम्नतम 100 विवरणियों के अध्यधीन 10 लाख रूपए से कम हों (10 प्रतिशत)*

आदि) येलो पेज और आर्थिक सर्वेक्षण शामिल थे। लेखापरीक्षा ने विभिन्न क्षेत्राधिकार से विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध कर कटौतीकर्त्ताओं की संख्या पर भी डाटा संगृहीत किया गया।

2.9.1.2 असम, दिल्ली, गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ (सं रा क्षे), राजस्थान और पश्चिम बंगाल में यह पाया गया कि विभाग के अभिलेखों में कर कटौती कर्त्ताओं की संख्या में पंजीकृत किए जाने के लिए दायी की तुलना में अधिक अन्तर था। विभाग द्वारा दर्शाए गए 1.10 लाख• कटौतीकर्ताओं के प्रति लेखापरीक्षा के कार्य में लगभग 15 लाख कर के कटौतीकर्त्ताओं का पंजीकरण करने की संभावना का पता चला **(परिशिष्ट 5)।**

2.9.1.3 इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में आयकर विभाग की प्रगति रिपोर्ट में यथा उपलब्ध कर के कटौतीकर्त्ताओं की संख्या पर डाटा का संकलन किया जो कि नीचे तालिका 3 में दिया गया है :

तालिका 3 : प्रभावी कर के कटौतीकर्ता[∀]

वर्ष	1 अप्रैल को कर के कटौती कर्त्ताओं की संख्या	31 मार्च को कर के कटौतीकर्ताओं की संख्या
2002-03	1026739	1101830
2003-04	653538	626055
2004-05	626055	577131
2005-06	577131	460277

2.9.1.4 आंकड़ों में दर्शाया गया कि टी डी एस योजना के अन्तर्गत कवर किए गए संव्यवहारों की संख्या में दर्ज की गयी वृद्वि और अर्थ व्यवस्था में समग्र वृद्वि के बावजूद पिछले वर्षों में प्रभावी कर कटौतीकर्त्ताओं की संख्या में कमी रही है। 31 मार्च 2006 को कटौतीकर्त्ताओं की संख्या 55 प्रतिशत थी जो 1 अप्रैल 2002 की अपेक्षा कम थी।

मुद्दे की जांच करने पर सहमत होते हुए निकास सम्मेलन के दौरान मंत्रालय ने बताया कि टैन डाटाबेस को अद्यतन किया जा रहा है और पुराने टैन की देखभाल करने के लिए टैन मास्टर का परिमार्जन प्रक्रियाधीन है।

2.9.2 टी डी एस यूनिटों द्वारा सर्वेक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्रोत पर कर की कटौती अथवा संग्रहण के लिए दायी सभी सत्व विभाग के अभिलेखों में लाए जाएं, टी डी एस यूनिटों को आयकर निर्धारणों, सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करना और सर्वेक्षण करना अपेक्षित होता है। टी डी एस यूनिटों द्वारा उसके बाद तैयार की गयी सर्वेक्षण रिपोर्टों का चूककर्ताओं से अनुपालन के लिए अनुसरन किए जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रोटोकोल की न केवल नए कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं की पहचान करने के लिए बल्कि वर्तमान

• आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ (सं रा क्षे) और दिल्ली को छोड़कर जहां विभाग ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए

∀ स्रोत अनुसंधान और सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा आयकर विभाग की प्रगति रिपोर्ट

कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए भी अग्रलक्षी होने की आवश्यकता है।

246 टी डी एस यूनिटों में रखे गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दर्शाया गया कि **झारखंड, असम और उड़ीसा** में कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए। **उत्तर प्रदेश (मेरठ प्रभार)** में सर्वेक्षण किए गए थे परन्तु सर्वेक्षण रिपोर्टों को 2 वर्ष बीतने के बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था (जून 2006)। **मध्य प्रदेश (भोपाल और इंदौर प्रभारों)** में लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि सर्वेक्षण किए जा चुके थे चूंकि सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.9.3 स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायी पहचान करने वाले कार्यकलाप

2.9.3.1 बीमा कारबार से स्रोत पर कर की कटौती

लेखापरीक्षा में एक वृद्धि वाले क्षेत्र यथा बीमा क्षेत्र में स्रोत पर काटे गए कर की पर्याप्तता की जांच करने की मांग की गयी। 29 कम्पनियां (8 सार्वजनिक क्षेत्र और 21 निजी क्षेत्र) हैं जो बीमा कार्यकलापों (14 जीवन, 14 गैर जीवन और 1 पुनर्बीमा)[*] में लगी हुई हैं। बीमा कारबार करने अथवा इसकी प्रक्रिया करने के लिए (पालिसियां जारी रखने, नवीनीकरण करने अथवा पुनः प्राप्त करने सहित) भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक आदि स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी होते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा संगृहीत डाटा में वास्तव में संगृहीत राशि की तुलना में नियमित बीमा कमीशन से 1118.28 करोड़ रूपए के राजस्व संग्रहण की (अर्थात -स्रोत पर कर की कटौती) संभाव्यता दर्शायी गयी है जैसाकि नीचे तालिका 4 में दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपए में)

तालिका 4 : बीमा कारबार से स्रोत पर कर की कटौती

क्र स.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	**जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कमीशन का भुगतान ***				
	सार्वजनिक क्षेत्र (एल आई सी)	4519.32	5015.08	5742.92	6203.23
	निजी क्षेत्र	49.09	153.03	415.42	854.73
2.	**गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कमीशन का भुगतान ***				
	सार्वजनिक क्षेत्र	657.42	935.71	1092.29	1233.20
	निजी क्षेत्र	5.92	42.56	109.65	228.20
	जोड़	**5231.75**	**6146.38**	**7360.28**	**8519.36**
3.	धारा 194 डी के अन्तर्गत टी डी एस की दर (अधिभार सहित)	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%
4	**स्रोत पर कटौती योग्य कर**	**533.64**	**626.93**	**750.74**	**868.97**
5	**विभाग द्वारा काटा गया कर #**	**321**	**384**	**434**	**523**
6	**राजस्व अन्तर**	**212.64**	**242.93**	**316.74**	**345.97**

** बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) की वार्षिक रिपोर्टें*

सुसंगत वर्षों के प्रत्यक्षकरों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अध्याय II

*** बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05**

2.9.3.2 पुनर्बीमा कमीशन प्रभारों पर स्त्रोत पर कर की कटौती

पुनर्बीमा कम्पनियों द्वारा पुनर्बीमा कमीशन के प्रति किए गए भुगतान टी डी एस के लिए दायी होते हैं चूकि भुगतान कमीशन के स्वरूप में होता है। पांच बीमा कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि **चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई** में इन कम्पनियों ने 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान 6189.66 करोड़ रूपए के पुनर्बीमा कमीशन के प्रति भुगतान किया जिस पर कर दाताओं द्वारा स्त्रोत पर कोई कर नहीं काटा गया था। इस संव्यवहार में राजस्व संग्रहण के लिए संभाव्यता (अर्थात स्त्रोत पर कर की कटौती) लागू ब्याज और शास्ति के अलावा 631.34 करोड़ रूपए बनती थी (तालिका 5)।

(करोड़ रूपए में)

तालिका 5 : पुनर्बीमा पर प्रदत्त कमीशन *

क्र सं	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	भारतीय सामान्य बीमा निगम लिमिटेड	836.38	959.56	1116.82	1274.31
2.	राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड	69.72	27.55	25.87	19.31
3	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	386.72	480.86	58.49	595.25
4	दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	76.65	36.47	33.53	28.35
5	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	74.84	39.05	35	14.93
6	**कुल प्रदत्त कमीशन**	**1444.31**	**1543.49**	**1269.71**	**1932.15**
7	धारा 194 डी के अन्तर्गत टी डी एस की दर (अधिभार सहित)	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%
8	**स्त्रोत पर कटौती योग्य कर**	**147.32**	**157.43**	**129.51**	**197.08**

* सुसंगत वर्षों के लिए सम्बन्धित कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टें

महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार में लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर **भारतीय सामान्य बीमा निगम लिमिटेड** के मामले में विभाग ने उपचारी कार्रवाई की और 2004-05 से 2006-07 (अक्तूबर 2006) तक के निर्धारण वर्षों के लिए 466.77 करोड़ रूपए (ब्याज सहित) की मांग की।

2.9.3.3 इसी प्रकार उपरोक्त कम्पनियों ने भी पुनर्बीमा कमीशन के प्रति भुगतान प्राप्त किए जो टी डी एस के लिए दायी है चूंकि भुगतान कमीशन के स्वरूप में है। पांच बीमा कम्पनियों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अध्ययन में पता चला कि **चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई** में इन कम्पनियों ने 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान 2820.47 करोड़ रूपए का पुनर्बीमा कमीशन प्राप्त किया जिस पर करदाताओं द्वारा स्त्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की गयी थी। इस संव्यवहार में राजस्व संग्रहण के लिए संभाव्यता (अर्थात स्त्रोत पर कर की कटौती) 399.25 करोड़ रूपए बनती थी।

मंत्रालय निकास सम्मेलन के दौरान मुद्दे की जांच करने पर सहमत हुआ।

2.9.3.4 अनिवासियों को भुगतानों से स्त्रोत पर कर की कटौती

वेतन, कमीशन, रॉयल्टी, लाभांश आदि जैसे भुगतानों, जो अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी हैं, के कारण विदेश में निवासियों को बहिर्प्रवाह अथवा भुगतानों की प्रमात्रा इस क्षेत्र में कर संग्रहण के लिए संभाव्यता (अर्थात् स्त्रोत पर कर की कटौती) को दर्शाती है जैसाकि नीचे तालिका 6 में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

तालिका 6 : अनिवासियों को भुगतान				
क्रम सं.	**विवरण**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
1	कुल (सेवाएं,* अंतरण $ और आय)&	122574	120575	184222
2.	टी डी एस की दर (निम्नतम स्लैब पर मानी गयी)	15%	15%	15%
3	**स्त्रोत पर कटौती योग्यकर #**	**18386.10**	**18086.25**	**27633.30**
4	**विभाग के अनुसार काटा गया कर**	**6884**	**8996**	**12711**
5	**राजस्व का अन्तर**	**11502.10**	**9090.25**	**14922.30**

स्त्रोतः भा रि बैं - रूपए में भुगतानों का भारत का समग्र शेष

** साफ्टवेयर सेवाएं, कारबार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और संचार सेवाएं*

$ सरकारी, निजी

& कर्मचारियों की निवेश आय और क्षतिपूर्ति

सुसंगत वर्षों के प्रत्यक्ष करों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अध्याय II

मंत्रालय निकास सम्मेलन के दौरान मुद्दे की जांच करने पर सहमत हुआ।

2.9.3.5 तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से स्त्रोत पर कर की कटौती (194 जे)

वृत्तिक सेवाओं अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में एक निवासी को भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी राशि के पांच प्रतिशत की दर पर स्त्रोत पर कर की कटौती अधिभार और शिक्षा उपकर, जहां कहीं लागू हो, के साथ करनी अपेक्षित होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चैक का निपटान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों♣ द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले 43 केन्द्रों का स्थापित किया जाना प्राधिकृत किया। इन सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहक बैंकों को भा रि बैं द्वारा नियत की गयी निर्धारित दरों पर मैगनेटिक इंक केरेक्टर

♣ *आंध्रा बैंक, बैंक आफ बडोदा बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और यूनियन बैंक आफ इंडिया*

रिकोगनिश्न/ (एम आई सी आर) चार्जस का भुगतान करना था और इन भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती करनी थी।

गुजरात, उडीसा, उत्तर प्रदेश और चंढीगढ़ (सं रा क्षे) में **भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) बैंक आफ बड़ोदा (बी ओ बी)** और **पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी)** को एम आई सी आर केन्द्र चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पता चला कि **227 मामलों (गुजरात** में **221 मामले, उडीसा** में **एक मामला, उत्तर प्रदेश** में **चार मामले** और **चंडीगढ** में **एक मामला)** में स्रोत पर कर की कटौती किए बिना ग्राहक बैंकों ने **एस बी आई, बी ओ बी** और **पी एन बी** को एम आई सी आर प्रभारों का भुगतान किया जिनमें 5.46 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसमें से दो मामले नीचे दिए गए हैं

(लाख रूपए में)

तालिका 7 एम आई सी आर						
क्र सं.	**राज्य**	**बैंक का नाम**	**देय कर**	**देय ब्याज**	**उद्ग्राह्य शास्ति**	**राजस्व प्रभाव**
1	उत्तर प्रदेश	पंजाब नेशनल बैंक	79.59	20.79	79.59	179.97
2	गुजरात	बैंक आफ बड़ोदा	5.28	0.94	5.28	11.50

लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग **गुजरात** और **चंडीगढ (सं.रा क्षे)** में आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हुआ (और वडोदरा में 3.16 लाख रूपए की वसूली की)।

खंड ख टी डी एस प्रावधानों का लागू करना: अनिवासी

2.10 घरेलू और संधि कानून

अनिवासियों के कराधान के आधार को दो मुख्य सिद्धांत रेखांकित करते हैं। स्रोत सिद्धांत के अन्तर्गत एक देश अपने भूभागीय क्षेत्राधिकार के अन्दर स्रोतों से अर्जित सभी आय पर कर लगाता है जबकि निवासी सिद्धांत के अन्तर्गत एक देश अपने भूभागीय क्षेत्राधिकार के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों की विश्वव्यापी आय पर कर लगाता है। भारत में भारत से बाहर आय/ किए गए भुगतानों पर कर लगाने के लिए स्रोत और निवासी दोनों को इक्टठा किया जाता है। एक स्थायी स्थापना (पी ई) के मौजूद होने अथवा अन्यथा के अवधारण से कर की प्रयोजनीयता और उद्ग्राह्यता का निर्णय किया जाता है। जहां भारत में एक नियमित पी ई हो तब अनिवासी से भारत में कार्यकलापों के कारण प्राप्त की गयी आयों पर एक विवरणी दाखिल करने की प्रत्याशा की जाती है। दोहरा कराधार परिहार करार (डी टी ए ए) के अन्तर्गत उपलब्ध कराधान की निम्न दरें मात्र तब लागू होती है जब तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और फीस का अर्जन एक पी ई के माध्यम से अर्जन से इतर किया जाता है। अन्य मामलों में कर स्रोत पर काटे जाते हैं जो अनिवासियों को भुगतानों के मामले में कर के रोकने के रूप में माना जाता है। कर की कटौती न करने के प्रति रक्षोपाय के लिए स्रोत पर कर की कटौती किए बिना अनिवासियों को किए गए भुगतानों पर व्यय निर्धारिती (कर दाता) के निर्धारण में अननुमत किया जाता है।

डी टी ए ए में भारत छोड़ चुके अनिवासियों से देय करों की वसूली के लिए सहायता करने का भी प्रावधान है। तथापि करों की वसूली में सहायता के लिए ऐसे खंड कुछ देशों जैसों यू एस ए, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ डी टी ए ए में उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार को राजस्व की हानि का जोखिम रहता है यदि अनिवासियों को भुगतान करने के समय टी डी एस अपफ्रंट प्रभावित न हो। लेखापरीक्षा में न केवल अनिवासियों को भुगतानों पर टी डी एस को लागू करने के लिए उपयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तता बल्कि व्यय को अननुमत करने की भी जांच करने की मांग की गयी जहां राजस्व के हितों के रक्षोपाय के लिए ऐसे करों की कटौती नहीं की गयी थी।

टी डी एस और सम्बन्धित प्रावधानों के लागू करने का सत्यापन करने के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में स्रोत पर कर की कम कटौती से सम्बन्धित उन गलतियों का पता चला जो स्थायी स्थापना से सम्बन्धित आय के अवधारण में अस्पष्टता, उस व्यय (अनिवासियों को किए गए भुगतान) को अननुमत करने की विफलता के कारण थीं जिसपर उन **82 मामलों** में स्रोत पर कर की कटौती आदि नहीं की गयी है जिनमें **209.21 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसकी शास्ति **5.02 करोड़ रूपए** थी।

2.10.1 स्थायी स्थापना से सम्बन्धित आय के अवधारण में अस्पष्टताएं जिसके परिणामस्वरूप स्रोत पर कर की कम कटौती हुई

शब्द "स्थायी स्थापना (पी ई)" की परिभाषा एक निर्धारिती को लागू कर की दरों के नियतन में निर्णायक होती है। यद्यपि शब्द "पी ई " सामान्य रूप से कारबार अथवा प्रबन्धन के एक स्थान का सूचक होता है तथापि इसमें अन्य कार्यकलाप भी शामिल होते हैं जैसे सुविधाएं, प्रतिष्ठापन और तेल के कुंए आदि। पी ई का अस्तित्व मापदंड की एक रेंज पर निर्भर करता है जिसमें अन्य के साथ साथ बने रहने की अवधि, कार्यकलापों का स्वरूप और ठेके का स्वरूप शामिल होता है। जबकि पी ई के कारण आय उच्च दरों पर करयोग्य होती है तथापि उन मामलों में निम्न दरें लागू होती हैं जहां कोई पी ई मौजूद न हो।

दिल्ली डी आई टी (आई टी) प्रभार में **नौ मामलों** की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन गलतियों का पता चला जो पी ई के गलत अवधारण के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और फीस के रूप में अनिवासियों की आय से कम दरों पर कर की कटौती से सम्बन्धित थीं जिनमें **58.97 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। पांच करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त **दो मामले** नीचे सोदाहरण दिए गए हैं जबकि 50 लाख रूपए और पांच करोड़ रूपए के बीच के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त चार मामले तालिका 8 में दिए गए है और पचास लाख रूपए से कम के मामले **परिशिष्ट 6** में दर्शाए गए हैं।

2.10.1.1 एक कम्पनी मैसर्ज एरिक्सन ए बी (स्वीडन में आधारित) का निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारण मार्च 2005 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया जिसमें निर्धारण अधिकारी ने बताया कि निर्धारिती की कारबार के स्थायी स्थान के कारण स्थायी स्थापना है। रायल्टी और तकनीकी फीस से भारत में निर्धारिती को उद्भूत होने वाली आय दस प्रतिशत पर कर को प्रभारित की गयी। भारत और स्वीडन के बीच डी टी ए ए की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि जहां एक निर्धारिती अन्य राज्य में स्थित एक स्थायी स्थापना के माध्यम से रायल्टी और तकनीकी फीस का अर्जन कर रहा हो वहां स्रोत के राज्य के देशी प्रावधानों के अनुसार ऐसी आय कारबार आय के रूप में कर योग्य होती है। इस प्रकार रायल्टी और तकनीकी फीस से आय धारा 115 ए (चूंकि वर्तमान संव्यवहार के लिए करार जुलाई 1996

के बाद किया गया) के अन्तर्गत तीस प्रतिशत और न कि दस प्रतिशत की दर पर प्रभारित की जानी थी जैसाकि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। ऐसा करने की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 42.72 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.10.1.2 एक कम्पनी मैसर्ज ओरेक्ल कारपोरेशन का निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारण 103.17 करोड़ रूपए की आय का अवधारण करते हुए मार्च 2005 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की भारतीय सहायक कम्पनी को मूल विदेशी कम्पनी की स्थायी स्थापना के रूप में बताया और पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती ने 74.61 करोड़ रूपए की रायल्टी आय अर्जित की। यह आय अधिनियम के अनुसार 20 प्रतिशत की बजाय डी टी ए ए के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत की दर पर कर को प्रभारित की गयी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 5.23 करोड़ रूपए के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

अपने उत्तर में विभाग ने बताया कि निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने रायल्टी आय को स्थायी स्थापना के साथ प्रभावी ढंग से सम्बद्ध होना पाया। विभाग का उत्तर मान्य है चूंकि निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने न तो इस मुद्दे पर चर्चा की और न ही इस बात के कोई कारण निर्दिष्ट किए कि रायल्टी आय स्थायी स्थापना से सम्बद्ध क्यों नहीं थी।

(करोड़ रूपए में)

तालिका 8 स्थायी स्थापना से सम्बन्धित आय के अवधारण में अस्पष्टताएं

क्रम सं	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**धारा के अन्तर्गत निर्धारण**	**गलती का स्वरूप**	**राजस्व प्रभाव**
1.	यू ओ पी पी इंटर अमेरीकन इंक	2002-03	143(3)	टी डी एस 30 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत की दर पर प्रभावित हुआ	3.56
2.	एम सी डोनालडस कारपोरेशन	1997-98 से 2001-02	143(3)	पी ई के कारण आय के लिए लागू 30 प्रतिशत के प्रति रायल्टी से आय पर 15 प्रतिशत की दर पर टी डी एस प्रभावित हुआ	3.26
3.	वर्ल्ड स्पोर्ट निम्बस प्रा. लि.	2002-03	143 (3)	कर योग्य रायल्टी और तकनीकी फीस से क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर पर आय प्रभावित नहीं हुई	2.68
4	इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस	2003-04	143 (3)	पी ई के कारण आय के लिए लागू 20 प्रतिशत के प्रति रायल्टी और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय पर 10 प्रतिशत की दर पर टी डी एस प्रभावित हुआ	0.68
जोड़					**10.18**

2.10.2 अनिवासियों को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती न करना- व्यय अननुमत करने की विफलता

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अनिवासियों को किए गए भुगतान, जिन पर स्रोत पर कर नहीं काटा गया, निर्धारण अधिकारी द्वारा अननुमत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा में **19 मामलों** में गलतियां पाई गईं जिनमें **93.13 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। **एक मामला,** जिसमें **75.68 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, नीचे सोदाहरण दिया गया है। पांच मामले जिनमें एक करोड़ रूपए से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, तालिका 9 में दिए गए हैं जबकि **आठ मामले,** जिनमें 10 लाख रूपए और एक करोड़ रूपए के बीच राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, **परिशिष्ट 7** में दर्शाए गए हैं।

2.10.2.1 डी आई टी (आई टी) मुम्बई प्रभार में एक निर्धारिती मैसर्ज ब्लास्ट नेदाम ड्रेजिंग के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2001-02 और 2002-03 निर्धारण वर्षों के लिए ड्रेजिंग के कार्य के लिए ठेके में लगी एक विदेशी कम्पनी के भारतीय परियोजना कार्यालय को 111.65 करोड़ रूपए और 46.02 करोड़ रूपए के भुगतान किए गए जिनपर स्रोत पर कोई कर नहीं काटा गया था। चूंकि आय भारत में कार्यकलापों से सम्बन्धित थी इसलिए ये राशियां भारत में कर को प्रभार्य थीं और इसलिए टी डी एस के लिए दायी थीं। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि ये भुगतान स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए निर्धारिती के हाथों में अननुमत नहीं किए गए। व्यय को अननुमत करने की विफलता के परिणामस्वरूप 75.68 करोड़ रूपए के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(करोड़ रूपए में)

तालिका 9 व्यय अननुमत करने की विफलता

क्रम सं	सी आई टी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि व	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1	चेन्नई	इंडिया एडिटिवस (प्रा) लि.	2000-01 एवं 2001-02	निर्धारिती ने स्रोत पर कर की कटौती किए बिना रायल्टी के रूप में 2.65 करोड़ रूपए और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में 0.89 करोड़ रूपए प्राप्त किए	4.22
2	सी आई टी I, चेन्नई	मैसर्ज एशिया नेट कम्यूनीकेशन लि. चेन्नई	2001-02	एक विदेशी कम्पनी को 7.64 करोड़ रूपए की राशि स्रोत पर कर की कटौती किए बिना ट्रांसपांडर किराया प्रभारों के रूप में प्रदत्त किए गए जो कि तकनीकी जानकारी प्रभारों के स्वरूप के होते हैं	3.91
3	सी आई टी I, चेन्नई	मैसर्ज हनील लिअर इंडिया (प्रा) लि. तिरूवल्लूर	2003-04	विदेशी कम्पनियों को प्रदत्त तकनीकी फीस के प्रति 5.18 करोड़ रूपए का व्यय अनुमत किया गया यद्यपि सनदी लेखाकार ने फार्म 3 सी डी में यह प्रमाणित किया है कि टी डी एस की वसूली की गयी है परन्तु पूर्ववर्ष के दौरान सरकारी लेखा को प्रेषित नहीं	2.27

				किया गया	
4.	सी आई टी III, चेन्नई	मैसर्ज पोलरीस साफ्टवेयर लैब लि.	2002-03 और 2003-04	विदेशी मुद्रा में वृत्तिक प्रभारों के प्रति निर्धारिती कम्पनी द्वारा क्रमशः 112.08 लाख रूपए और 293.80 लाख रूपए का भुगतान किया गया जिसके लिए कोई कर काटा नहीं गया अथवा प्रदत्त नहीं किया गया	2.04
5	सी आई टी I, चेन्नई	मैसर्ज इंडोनेशनल लि. चेन्नई 34	2001-02	निर्धारिती ने एक विदेशी कम्पनी को तकनीकी फीस के प्रति 311.36 लाख रूपए प्रदत्त किए और वह स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहा	1.11

2.10.3 अन्य अभ्युक्तियां

जहां स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायी एक व्यक्ति इसकी कटौती करने में विफल रहता है अथवा इसकी कटौती करने के बाद सरकारी लेखा में कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तब वह चूक के लिए शास्ति के अलावा प्रेषण में विलम्बों के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

2.10.3.1 डी आई टी (आई टी), मुम्बई प्रभार में एक अनिवासी निर्धारिती मैसर्ज स्टार टेलीविज़न एन्टरटेनमैंट लिमिटेड (स्टार) ने निर्धारण वर्ष 2003-04 के लए अगस्त 2004 (अक्तूबर 2003 के प्रति) में "शून्य" आय दर्शाते हुए विलम्ब से विवरणी दाखिल की। विवरणी के साथ कोई टी डी एस प्रमाणपत्र नही लगाया गया। निर्धारिती ने तर्क दिया कि इसके द्वारा प्राप्त टेलीकास्टिंग विज्ञापन राजस्व भारत में कर को प्रभार्य नहीं था। तथापि विज्ञापन प्रभारों के कर दाता ने मार्च 2006 में निर्धारिती (स्टार) को एक टी डी एस प्रमाणपत्र जारी किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती को दोषी रखने और कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज का उद्ग्रहण करने की बजाय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए टी डी एस प्रमाणपत्र के लिए क्रेडिट अनुमत किया और इसे ऐसा माना कि मानो कर समय पर काटा तथा प्रदत्त किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप स्टार पर 35.82 करोड़ रूपए (धारा 234 ए और 234 बी के अन्तर्गत) के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जो सरकारी लेखा में प्रेषण में विलम्ब के लिए कर कटौतीकर्ता पर ब्याज और शास्ति (धारा 201 ए के अन्तर्गत) के उद्ग्रहण के अलावा था। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की और शास्तिक कार्रवाई प्रारम्भ की।

2.10.3.2 डी आई टी (आई टी) मुम्बई प्रभार में एक कम्पनी मैसर्ज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष 2002-03 के लिए और मैसर्ज रिलायंस इन्फोकाम मुम्बई के 2002-03 से 2003-04 तक के वर्षों के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यू एस ए में आधारित अनिवासियों को किए गए भुगतानों पर 2.87 करोड़ रूपए और 1.99 करोड़ रूपए के कर की स्रोत पर कटौती नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 4.86 करोड़ रूपए का कम संग्रहण हुआ जो 6.91 करोड़ रूपए के लागू ब्याज और शास्ति के अलावा था।

2.10.3.3 **डी आई टी (आई टी) मुम्बई प्रभार** में मैसर्ज राबो इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 1.80 करोड़ रूपए के समग्र भुगतान पर टी डी एस के रूप में 30.30 लाख रूपए का प्रेषण दर्शाते हुए अप्रैल 2003 में वि व 2002-03 के लिए टी डी एस विवरणी दाखिल की। विवरणी के साथ लगे दस्तावेज की (चालान) लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने 2.78 करोड़ रूपए का एक प्रेषण भी किया जिसे टी डी एस विवरणी में नहीं दर्शाया गया। विभाग ने उल्लेख न किए गए क्रेडिट का सत्यापन करने अथवा निर्धारिती द्वारा दाखिल की गयी विवरंणी को परिशोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

2.10.3.4 **डी आई टी (आई टी) मुम्बई प्रभार** में तीन मामलों में स्रोत पर काटे गए कर के प्रेषण में 2 महीने से 6 महीने तक के विलम्ब रहे जिस पर 46.83 लाख रूपए का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा तर्क स्वीकार किया और उपचारी कार्रवाई की।

2.10.3.5 **गुजरात में सी सी आई टी अहमदाबाद प्रभार** में एक कम्पनी मैसर्ज गुजरात स्टेट पैट्रोलियम लिमिटेड, गांधी नगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि करों की कटौती किए बिना अथवा कर की निम्न दरें लागू करके अनिवासी व्यष्टियों और कम्पनियों को प्रेषण किए गए (तकनीकी फीस के रूप में) इसके परिणामस्वरूप 39.44 लाख रूपए के ब्याज के अलावा 3.28 करोड़ रूपए के कर की कम कटौती हुई। विभाग उपचारी कार्रवाई करने पर सहमत हुआ।

2.10.3.6 **केरल, कोच्चि प्रभार** में जहां पोलैंड के साथ डी टी ए ए में लाभांश और ब्याज के लिए 15 प्रतिशत और रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के लिए 22.5 प्रतिशत पर कर की दरों के लिए प्रावधान किया गया वहां एक निर्धारिती (मैसर्ज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) द्वारा फार्म 27 में दाखिल की गयी विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि पोलैंड में आधारित एक अनिवासी को किए गए भुगतानों पर 15 प्रतिशत की निम्नतम लागू दर के प्रति 4.2 प्रतिशत की निम्न दर पर टी डी एस प्रभावी बनाया गया। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में यह नहीं दर्शाया गया कि कटौतीकर्ता/कटौती कराने वाले ने निम्न दर पर अथवा निम्न आय पर कटौती के लिए निर्धारण अधिकारी को कोई आवेदन किया था। कर की कम कटौती 5.83 लाख रूपए के ब्याज के अलावा 13.40 लाख रूपए बनती थी।

2.10.3.7 आगे उसी प्रभार में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यद्यपि डी टी ए ए की दरें सिंगापुर में आधारित अनिवासियों को भुगतानों के लिए 10-15 प्रतिशत की रैंज में थीं तथापि जून 2002 से सितम्बर 2003 तक एक निर्धारिती को भुगतानों पर प्रभावित टी डी एस 20-27 प्रतिशत की रेंज में था। इस बात के अभिलेखों में कोई कारण नहीं बताए गए कि कटौती की भिन्न दरें क्यों लागू की गयीं थीं।

2.10.3.8 **केरल, कोच्चि प्रभार** में 14 मामलों, जिनमें 15.30 करोड़ रूपए का प्रेषण अन्तर्ग्रस्त था, में टी डी एस की दरों की परिशुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी चूंकि आदाता के आवासीय विवरणों का निर्धारिती द्वारा उल्लेख नहीं किया गया और उसकी विभाग द्वारा भी मांग नहीं की गयी। इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा स्रोत पर काटे गए कर की परिशुद्धता पर आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.10.3.9 बंगलौर, चेन्नई और दिल्ली प्रभारों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि **छह मामलों** में कर की कटौती किए बिना अथवा कम कटौती करके अनिवासियों को भुगतान किए गए जिसमें ब्याज और शास्ति सहित **1.11 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

2.11 टी डी एस प्रावधान लागू करना : निवासी

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान निर्धारण से छूट गयी आय, कर की कटौती न होने/ कम कटौती होने, कारबार व्यय की अनुमति, टी डी एस प्रमाणपत्रों के बिना अनुमत किए गए क्रेडिट, ब्याज और शास्ति के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, सरकारी लेखा में टी डी एस संग्रहण प्रेषित करने में विफलता/विलम्बित प्रेषणों, अधिभार/शिक्षा उपकर के अनुद्ग्रहण और अन्य चूकों से सम्बन्धित गलतियां **12,673 मामलों** में टी डी एस यूनिटों में पाई गई जिनमें **170.81 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसकी उद्ग्राह्य शास्ति **55.34 करोड़ रूपए** थी।

2.11.1 निर्धारण से छूट गयी आय

टी डी एस प्रमाणपत्रों के लिए अनुमत करने से पहले निर्धारण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली एक निर्णायक जांच में यह देखा जाता है कि क्या तदनुरूपी आय को निर्धारिती द्वारा कर के लिए प्रस्तुत किया गया।

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभारों में **72 मामलों** में यद्यपि कर क्रेडिट, जैसाकि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया, को आयकर निर्धारणों में अनुमत किया गया तथापि निर्धारण अधिकारियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि तदनुरूपी आय कर के लिए प्रस्तुत की गयी। **39.79 करोड़ रूपए** की आय **14.97 करोड़ रूपए** के राजस्व प्रभाव के साथ कर के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी। 50 लाख रूपए से अधिक के राजस्व प्रभाव वाले **चार मामले** तालिका 10 में दर्शाए गए हैं जबकि 10 लाख रूपए और 50 लाख रूपए के बीच राजस्व प्रभाव वाले **23 मामले परिशिष्ट 8** में दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रूपए में)

तालिका 10 : निर्धारण से छूट गयी आय

क्रम सं.	आ क आ का प्रभार	निर्धारिती का नाम	निर्धारण का स्वरूप/निर्धारण वर्ष	राशि	कर प्रभाव
1.	सी आई टी- III चेन्नई	मैसर्ज पी एस ई जी पी पी एन आपरेशनस (प्रा) लि.	2002-03 143 (1)	11.96	3.41
	सी आई टीVIII चेन्नई	स्ट्रीमलाइन फारवार्डरस	2002-03 एवं 2003-04 143 (1)	3.17	1.16
	सी आई टी- I चेन्नई	ए पी एल लाजिस्टिकस प्रा. लि.	2001-02 143 (3)	1.20	0.68
2.	सी आई टी दिल्ली	मैसर्ज लिअर सिटिंग (प्रा) लि.	2001-02 143 (3)	2.19	1.33
	सी आई टी दिल्ली	मैसर्ज कृष्णा इंजीनियरिंग वर्कस	2003-04 143 (3)	2.12	0.90
3.	सी आई टी मुजफ्फर नगर	मैसर्ज दोआबा रोलिंग मिल्स प्रा. लि.	2004-05 143 (1)	2.26	0.89
4	सी आई टी- V हैदराबाद	मैसर्ज बी रामाचन्द्रैया एंड सन्स	2002-03 143 (3)	1.08	0.54
जोड़				**23.98**	**8.91**

2.11.2 टी डी एस की कटौती न करना/कम कटौती करना

यदि स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति कर के पूरे अथवा आंशिक भाग की कटौती नहीं करता अथवा कर की कटौती करने के बाद उसे सरकारी लेखा में प्रेषित करने में विफल रहता है तब वह एक चूककर्ता निर्धारिती माना जाएगा और उस शास्ति के अध्यधीन होगा जो उस कर की राशि के बराबर राशि हो सकती है जिसकी कटौती करने में वह विफल रहा हो। इसके अतिरिक्त वह निर्धारित दरों पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान टी डी एस की कटौती न करने/कम कटौती करने से सम्बन्धित गलतियां **आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमालय प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल** में **273 मामलों** में पाई गई जिनमें **77.04 करोड़ रूपए** का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (जिसमें से प्रभावित न हुआ टी डी एस **37.93 करोड़ रूपए** था, टी डी एस को प्रभावित न करने वाला ब्याज और शास्ति क्रमशः **3.73 करोड़ रूपए** और **35.38 करोड़ रूपए** थी)। 10 लाख रूपए से अधिक परन्तु एक करोड़ रूपए से कम के राजस्व प्रभाव वाले **अट्ठाईस मामले परिशिष्ट 9** में दर्शाए गए हैं। एक करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व प्रभाव वाले **नौ मामले** नीचे तालिका 11 में दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

तालिका 11 : कर की कटौती न करना/कम कटौती करना

क्र स.	राज्य	कर कटौतीकर्ता	वि व	देय टी डी एस	ब्याज	शास्ति	जोड़
1.	हरियाणा	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कार प.लि.	2002-03 एवं 2003-04	4.65	1.45	4.65	10.75
2	महाराष्ट्र	अल्ट्रा एंटरटेनमेंट साल्यूशनस प्रा लि.	2002-03	2.88	0.60	2.88	6.36
3.	मध्य प्रदेश	आई डी बी आई बैंक लि. (न्यू)	2002-03 एवं 2003-04	1.10	0	1.10	2.20
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश खेलकूछ प्राधिकरण	2001-02 से 2004-05	0.73	0.34	0.73	1.80
5.	हरियाणा	कैथल सहकारी चीनी मिल लि.	2002-03 से 2004-05	0.77	0.18	0.77	1.72
6	केरल	केरल स्पोर्टस काउंसिल	2002-03 से 2004-05	0.65	0.29	0.65	1.59
7	असम	ओ एन जी सी जोर हाट	2001-02 से 2002-03	0.65	0.24	0.65	1.54
8	तमिलनाडु	पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिलनाडु सरकार	2000-01 से 2004-05	0.51	0.18	0.51	1.20
9.	उडीसा	एन टी पी सी कानिहा	2001-02 से 2002-03	0.43	0.22	0.43	1.08
		जोड		**12.37**	**3.5**	**12.37**	**28.24**

विभाग ने उपरोक्त **क्रम संख्या 1,2,5** और **6** पर मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की

2.11.3 सरकारी लेखा में टी डी एस प्रेषित करने की विफलता

स्रोत पर कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरकारी लेखा में उसे प्रेषित करेगा जिसकी विफलता होने पर वह शास्ति के अलावा विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होता है।

चयनित इकाइयों में प्रक्रियागत टी डी एस विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि **आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभारों** में **34 मामलों** में **6.92 करोड़ रूपए** का स्रोत पर काटा गया कर सरकारी लेखा में प्रेषित नहीं किया गया। सरकारी लेखा में टी डी एस प्रेषित करने की विफलता ने 6.92 करोड़ रूपए के राजस्व की संभावित हानि दर्शायी। इसके अलावा इसने ब्याज और शास्ति के उद्ग्रहण की भी मांग की जिसमें 14.83 करोड़ रूपए का कुल राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। 10 लाख रूपए से अधिक परन्तु एक करोड़ रूपए से कम के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त **आठ मामले** परिशिष्ट 10 में दर्शाए गए हैं। एक करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त चार मामले नीचे तालिका 12 में दिए गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

तालिका 12 : सरकारी लेखा में टी डी एस प्रेषित करने की विफलता

क्र सं.	कर कटौतीकर्ता/आ क आ का प्रभार	वित्तीय वर्ष	कटौती किया गया टी डी एस	ब्याज	शास्ति	जोड़
1.	मैसर्ज ब्रिगस ट्रेडिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई		3.11	0.21	3.11	6.44
2.	मैसर्ज रन्फिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई		1.25	0.14	1.25	2.64
3.	एल एम ज़ेड एनर्जी इंडिया लिमिटेड दिल्ली		0.57	0.25	0.57	1.40
4.	बोस्टन एजूकेशन एंड साफ्टेवयर लिमिटेड मुम्बई		0.55	0.09	0.55	1.19
जोड़			**5.48**	**0.69**	**5.48**	**11.67**

विभाग ने बताया कि क्रम संख्या 2 एवं 4 पर दर्ज किए गए मामलों के सम्बन्ध में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

2.11.4 सरकारी लेखा में टी डी एस के विलम्बित प्रेषण

स्रोत पर कर की कटौती करने वाला व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर केन्द्र सरकार के क्रेडिट के प्रति इस प्रकार काटी गयी राशि का भुगतान करेगा। ऐसा करने की विफलता के कारण ब्याज का उद्ग्रहण होता है।

असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल प्रभारों में सरकारी लेखा में टी डी एस का प्रेषण करने में 1 महीने से 27 महीने तक का विलम्ब उन **186 मामलों** में लेखापरीक्षा में पाए गए जिन पर **3.13 करोड़ रूपए** का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया। **बिहार, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल प्रभारों** में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की गयीं और उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

2.11.5 कारबार व्यय की गलत अनुमति

1 अप्रैल 2004 से धारा 40(ए) (iए) में प्रावधान किया गया है कि ब्याज, कमीशन, दलाली, वृत्तिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा एक ठेकेदार/उपठेकेदार को देय राशियां जिन पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसा कर काटा नहीं गया है अथवा कटौती के बाद निर्धारित समय के अंदर पूर्व वर्ष के दौरान प्रदत्त नहीं किया गया है, के स्वरूप में एक निवासी को कोई भुगतान कर को प्रभार्य आय की संगणना में एक कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा।

गुजरात और कर्नाटक में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि **332 मामलों** में टी डी एस सरकारी लेखा में प्रेषित नहीं किया गया। तदनुरूपी भुगतानों/व्यय को अननुमत करने की विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप **45.45 करोड़ रूपए** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। 25 लाख रूपए से अधिक परन्तु एक करोड़ रूपए से कम के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त **बत्तीस मामलों** को **परिशिष्ट 11** में दर्शाया गया है। एक करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त **सात मामले** नीचे तालिका 13 में दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

तालिका 13 : कारबार व्यय की गलत अनुमति

क्र सं.	सी सी आई टी का प्रभार	कम्पनी का नाम (कटौतीकर्ता)	अननुमत किया जाने वाला भुगतान	कर प्रभाव
1.	बडोदरा	इंडियन पैट्रो केमिकल्स लि.	28.94	10.59
2.	बडोदरा	गुजरात बिजली बोर्ड (जी बी पी एस) उत्तरान	12.59	4.61
3.	बडोदरा	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आर आर वी यू एन एल)	10.73	3.93
4	अहमदाबाद	गुजरात गैस कम्पनी लि.	10.26	3.75
5.	बडोदरा	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं.लिमिटेड	6.79	2.48
6	बडोदरा	जी एस ई सी लिमिटेड (दुवारान)	4.67	1.71
7	सूरत	गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कारपोरेशन	3.41	1.25

2.11.6 प्रमाणपत्रों के बिना अनुमत किए गए टी डी एस क्रेडिट समग्र मांग प्राप्त करने के बाद निर्धारण करते समय स्रोत पर काटा गया कर, जैसा टी डी एस प्रमाण पत्रों द्वारा स्पष्ट है, समग्र मांग में से काटा जाएगा। जहां निर्धारिती ने टी डी एस प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया हो इसलिए वहां क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा।

दिल्ली प्रभार में मैसर्ज वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के मामले में निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए 11.07 लाख रूपए का टी डी एस क्रेडिट सुसंगत टी डी एस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना निर्धारण में गलती से अनुमत किया गया। लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार की और परिशोधित की (फरवरी 2005)।

2.11.7 टी डी एस विवरणियों का विलम्ब से दाखिल करना

स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद क्षेत्राधिकारिक टी डी एस यूनिट को वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा। इन विवरणियों को दाखिल करने में विफलता अथवा विलम्ब होने पर कटौती योग्य कर की अधिकतम राशि के अध्यधीन विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए 100 रूपए की दर पर शास्ति लगेगी।

तथापि कर के कटौतीकर्ताओं द्वारा टेन विवरणियों के दाखिल न करने के लिए ब्याज के उद्ग्रहण के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है जैसाकि निर्धारितियों द्वारा आय/निगमित कर विवरणियों के दाखिल न करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने के लिए धारा 234ए के अन्तर्गत उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में **असम, तमिलनाडु दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,झारखंड उडीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल** में विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने के **10549 मामलों** का पता चला जिनमें 1 दिन से 1406 दिनों का विलम्ब रहा। **5.54 करोड़ रूपए** की उद्ग्राह्य शास्ति का विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया। **गुजरात** में विभाग विवरणी के प्रक्रियागत होने के समय पर उपचारी कार्रवाई करने के लिए सहमत हुआ।

2.11.8 टी डी एस की विवरणियों और प्रमाणपत्रों की पूर्णता को सुनिश्चित करने की विफलता

कर के प्रत्येक कटौतीकर्ता को एक कर लेखा संख्या (टेन) प्राप्त करना होता है जो कटौतीकर्ता के लिए अद्वितीय होती है और जिसे स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों में उद्धृत किया जाना होता है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टी डी एस प्रमाणपत्रों में टेन, पान, जी आई आर, टी डी एस की राशि, टी डी एस की दर आदि जैसे विवरण सही ढंग से और पूर्णरूप में भरे गए हैं। ऐसा आदाताओं (अर्थात कटौती कराने वाले) द्वारा प्राप्त किए गए कर के क्रेडिट को कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रेषित किए गए के रूप में दावा किए गए के साथ सहसम्बद्ध बनाने के लिए विभाग को समर्थ बनाने के लिए होता है।

लेखापरीक्षा में कई गलतियां ध्यान में आई जिसके परिणामस्वरूप कटौतीकर्ताओं के आयकर निर्धारणों के साथ कर, क्रेडिटों का सहसम्बद्ध होना संभव नहीं था। न तो विभाग द्वारा गलतियां पता लगाई गई और परिशोधित की गयी और न ही लागू शास्तियां (10,000 रूपए की दर पर) उद्गृहीत की गयीं जैसाकि नीचे तालिका 14 में उल्लेख किया गया है

(लाख रूपए में)

तालिका 14 : टी डी एस विवरणियों और प्रमाणपत्रों की पूर्णता सुनिश्चित करने की विफलता					
क्रं सं.	प्रभार	विवरणी का स्वरूप	विवरणियों की संख्या	पायी गयी कमियां	उद्ग्राह्य शास्ति
1.	दिल्ली	टी डी एस	158 टेन विवरणियां	इन कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 1750 टी डी एस प्रमाणपत्रों में पान/जी आई आर संख्याएं दर्ज नहीं की गयी	175.00
2	उत्तर प्रदेश	टी डी एस	178 टेन विवरणियां	टेन दर्ज नहीं किया गया	17.80
		आयकर विवरणियां	28 कर कटौतीकर्ता	इन कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 801 टी डी एस प्रमाणपत्रों में पान/जी आई आर संख्याएं दर्ज नहीं की गयी	80.10
3	हिमाचल प्रदेश	टी डी एस	301 टेन विवरणियां	टेन दर्ज नहीं किए गए	30.10
4.	गुजरात	टी डी एस	285 टी डी एस प्रमाणपत्र	पान दर्ज नहीं किए गए	28.50
		आयकर विवरणियां	निर्धारिती (विशाल एक्सपोर्टस ओवरसीज लिमिटेड)	15 दोषपूर्ण प्रमाणपत्रों पर टी डी एस क्रेडिट अनुमत किया गया	43.27
जोड़					**374.77**
विभाग ने मैसर्ज विशाल एक्सपोर्टस ओवरसीज लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की					

2.11.9 टी डी एस विवरणियों का प्रक्रमण

कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल की गयी टी डी एस विवरणियों का प्रक्रमण और निर्धारण के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 119 के अन्तर्गत बोर्ड में निहित शक्तियों के अनुसार बोर्ड विवरणियों की परिशुद्धता और अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न छूटों का लाभ भी सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण इकाइयों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा संवीक्षा के लिए मामलों को उठाने के लिए चयन मापदंड निर्धारित करता रहा है।

तथापि बोर्ड द्वारा टी डी एस विवरणियों के सत्यापन के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक कोई चयन मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने जनवरी 2007 के अपने उत्तर में बताया कि उपयुक्त क्रियाविधि विचाराधीन है जो टी डी एस/टी सी एस विवरणियों के सत्यापन की समय सीमा और क्रियाविधि निर्धारित करेगी।

2.11.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा की नयी प्रणाली (श्रृंखला प्रणाली) के अनुसार सभी मामलों की एक निर्धारित प्रतिशतता की अनुवर्ती माह के अंत तक लेखापरीक्षा की जानी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा में नमूनाजांच की जाने वाली टी डी एस विवरणियों की प्रतिशतता दिसम्बर 2001 के बोर्ड के अनुदेश में निर्दिष्ट की गयी है।

चंडीगढ़ (सं रा क्षे), दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लेखापरीक्षा अध्ययन में पता चला कि 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान टी डी एस वार्डों/परिमण्डलों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

2.11.10.1 उत्तर प्रदेश (मेरठ प्रभार) में टी डी एस इकाई में यह बताया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा 2002-03 और 2004-05 के दौरान की गयी परन्तु ये रिपोर्टें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

2.11.11 निर्धारण और टी डी एस इकाइयों के बीच समन्वय का अभाव

बोर्ड ने सितम्बर 1990 में निर्धारित किया कि आय की विवरणी के साथ संलग्न टी डी एस प्रमाणपत्रों की प्रतिशतता की गलत और जाली दावों के प्रति रक्षोपाय करने के लिए क्रेडिट प्रदान करने से पहले सम्बन्धित टी डी एस इकाई के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रति जांच करनी अपेक्षित थी। प्रति सत्यापित किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतिशतता का क्षेत्राधिकारिक मु आ क आ/आ क आ द्वारा निर्णय किया जाना था।

दिल्ली, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नमूना जांच की गयी इकाइयों में यह पाया गया कि ऐसा प्रति सत्यापन न तो मु आ क आ/आ क आ द्वारा निर्धारित किया गया और न ही कोई ऐसा सत्यापन निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया। **कर्नाटक प्रभार** में टी डी एस इकाइयों को निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रति सत्यापन के लिए मात्र तीन मामले सूचित किए गए।

इस प्रकार लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि गलत और जाली दावों के प्रति राजकोष के रक्षोपाय के लिए निर्धारित किया गया तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था।

2.11.12 विविध अभ्युक्तियां

2.11.12.1 उड़ीसा, भुवनेश्वर प्रभार में लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर कटौतीकर्ता (कार्यकारी अभियंता, मण्डल II ,भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण) ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान कार्यों के निष्पादन के लिए एक ठेकेदार को प्रदत्त 12.31 लाख रूपए की समग्र राशि में से स्रोत पर मात्र 0.25 लाख रूपए की राशि की कटौती की। तथापि टी डी एस प्रमाण पत्र 0.49 लाख रूपए की राशि के लिए जारी किया गया।

2.11.12.2 अधिभार का अनुद्ग्रहण

स्रोत पर कर की कटौती करते समय कर कटौतीकर्ता को सुसंगत अवधि के लिए वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यथा निर्धारित अधिभार/शिक्षा उपकर की कटौती करना भी अपेक्षित होता है। **असम, गुजरात,झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभारों** में लेखापरीक्षा में **67 मामले** ध्यान में आए जहां अधिभार की या तो कटौती नहीं की गयी अथवा कम कटौती की गयी जिसमें **1.76 करोड़ रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। **18 मामलों** में शिक्षा उपकर की कटौती नहीं की गयी जिसमें **3.77 लाख रूपए** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। एक मामला नीचे सोदाहरण दिया गया है :

गुजरात प्रभार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2002-03 और 2003-04 वित्तीय वर्षों के दौरान एक विदेशी कम्पनी को भुगतान करते समय टी डी एस की कम कटौती का पता लगने के बाद विभाग ने कर की अतिरिक्त मांग की परन्तु इन दोनों वर्षों में निर्धारित दरों पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 31.61 लाख रूपए के अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ और कुल राजस्व प्रभार ब्याज सहित 38.31 लाख रूपए था। लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की और उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की।

2.12 खंड ग लेखांकन में मुद्दे

2.12.1 आयकर और अधिभार का गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा में टी डी एस के प्रेषण के लिए निर्धारित चालानों में कर और अधिभार के लिए अलग कालम दिए गए हैं ताकि अलग से अधिभार के लिए लेखाबद्ध करने में क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को समर्थ बनाया जा सके चूंकि वह भारत की समेकित निधि का भाग होता है और राज्यों को आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं होता[*]।

टी डी एस इकाइयों में दाखिल की गयी विवरणियों के साथ लगे चालानों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि **असम, चंडीगढ़ (सं रा क्षे), दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में **3,269 मामलों** में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत **18.68 करोड़ रूपए** का अधिभार वर्गीकृत किया गया **(परिशिष्ट 12)। पश्चिम बंगाल** में यह बताया गया कि उपयुक्त उपाय प्रक्रियाधीन थे।

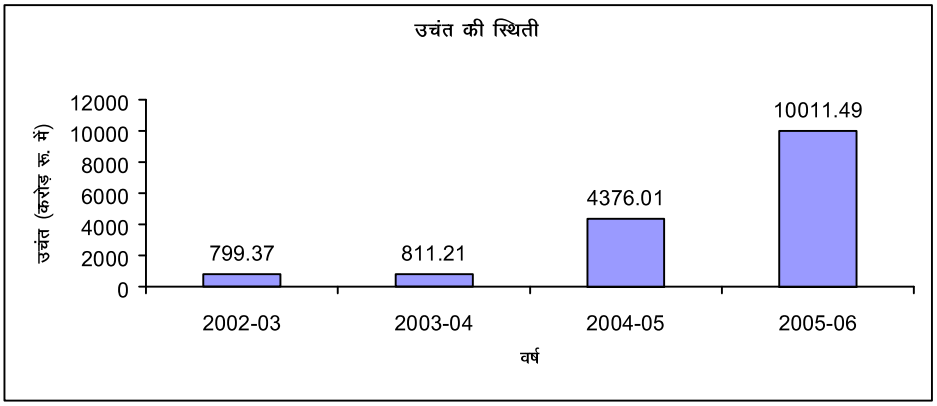
2.12.2 उचंत की स्थिति

ओ एल टी ए एस का कार्यान्वयन होने पर बैंक, जिसको कर के प्रेषण किए जा रहे थे को चालानों में दिए गए डाटा को दर्ज करना पड़ा जैसे टेन, प्रेषण की तारीख और राशि। टेन डाटा के दर्ज करने की विफलता और गलत डाटा के समावेशन के परिणामस्वरूप उचंत के अन्तर्गत राशि का क्रेडिट करना पड़ेगा। टी डी एस इकाइयों द्वारा ई- टी डी एस विवरणियों का प्रक्रमण करते समय इन राशियों का निपटान किया जा सकता है।

[*] संविधान का अनुच्छेद 271

दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र (नागपुर को छोड़कार), पंजाब और तमिलनाडु में उचंत में रखे गए टी डी एस क्रेडिटों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी जैसाकि नीचे चार्ट 4 में दर्शाया गया है :

चार्ट - 4



उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उचंत की राशि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। वर्ष 2004-05 के दौरान उचंत में 2003-04 में शेष की तुलना में लगभग 500 प्रतिशत तक और पूर्व वर्ष की तुलना में 2005-06 में 229 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2007) में बताया कि ओ एल टी ए एस में डाटा गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उचंत के अन्तर्गत राशि में कमी होगी।

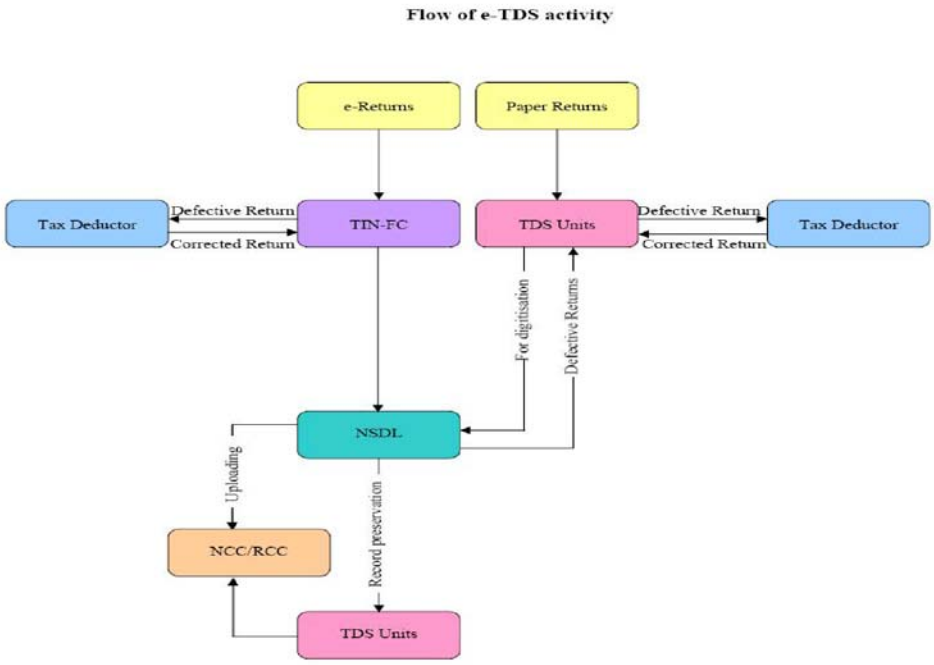
खंड घ ई- टी डी एस प्रणाली का मूल्यांकन

2.13 ई- टी डी एस

"स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी दाखिल करने की योजना 2003" कटौतीकर्ताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य के साथ और सरकारी लेखा में कर के जमा करने के साथ कटौतीकर्ताओं द्वारा की गयी करों की कटौती को सहसम्बद्ध करने के लिए और कटौती कराने वालों द्वारा दावा किए गए तदनुरूपी क्रेडिटों के साथ कटौतीकर्ताओं द्वारा कर की कटौती को सहसम्बद्ध करने के लिए भी के प्र क बो द्वारा अधिसूचित की गयी। ई- टी डी एस प्रक्रिया में अन्तर्गत कार्यकलापों के विवरण नीचे चार्ट 5 में दिए गए है :

चार्ट 5--

ई-टी डी एस विवरणियों के दाखिल करने और प्रक्रमण में अन्तर्ग्रस्त कार्यकलापों का प्लो चार्ट



ग्राहकों (कर कटौती कर्ताओं और कर की कटौती कराने वालों) और विभाग दोनों की ओर से बदलती हुई, रिपोर्टिंग वाली और अनुपालन अपेक्षाओं के मद्देनजर अनुपालन का प्रवर्तन करने के लिए लेखापरीक्षा में प्रणालियों की पर्याप्तता और विभाग की तैयारी की जांच करने की मांग की गयी। लेखापरीक्षा में नियमों और क्रियाविधियों की स्पष्टता सहित ग्राहकों के लिए तंत्र के सुकर बनाने का मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया गया।

विवरणियों का इलेक्ट्रानिक दाखिल करना

आयकर के महानिदेशक (प्रणाली) को ई-टी डी एस प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया और मैसर्ज नेशनल सिक्योरिटीज डिपाज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल), जो कर सूचना नेटवर्क (टी आई एन) को प्रारंभ करने वाली एजेंसी भी है, को ई- विवरणी अन्तरवर्ती के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रिया हेतु पंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया। एन एस डी एल ने ई-टी डी एस विवरणियां प्राप्त करने के लिए पूरे देश में 139 केन्द्रों पर "कर सूचना नेटवर्क- सरलीकरण केन्द्र (टी आई एन - एफ सी) नाम वाले अपने फ्रंट कार्यालय खोले। इलेक्ट्रानिक रूप में टी डी एस विवरणी का प्रस्तुत करना निगमित कटौतीकर्ताओं के लिए 1 जून 2003 से और अन्य सरकारी कार्यालयों और गैर- निगमित कटौतीकर्ताओं के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2005 और 1 जुलाई 2005 से अनिवार्य बनाया गया। एन एस डी एल को

विवरणियां डिजीटाईज़ करनी थीं और विभाग के राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र/क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आर सी सी) पर उनको अपलोड करना था।

टी डी एस प्राधिकारियों का ई-टी डी एस विवरणियों की प्रक्रिया के लिए आर सी सी/एन सी सी सर्वरों तक अभिगमन होना अपेक्षित था जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के साथ इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने और ओ एल टी ए एस[E] के साथ इस माडयूल पर उपलब्ध डाटा को सहसम्बद्ध करके अपेक्षित करों के भुगतान की परिशुद्धता के लिए था। इसलिए ई-टी डी एस विवरणियों की प्रक्रिया के लिए आर सी सी/ एन सी सी में कम्प्यूटरों की उपलब्धता और सर्वर के साथ संयोजकता एक पूर्वापेक्षा थी। दस्तावेज़ की विवरणियों के डिजीटाइज़ेशन और एन एस डी एल के साथ समन्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का प्रकटन हुआ।

2.13.1 फार्मों की अनुपलब्धता/ अपर्याप्त भूमि कार्य

ई-टी डी एस स्कीम को 1 जून 2003 से प्रचालनात्मक बनाया गया परन्तु ई-टी डी एस विवरणियों के नए फार्म और ई- फाइलिंग के लिए क्रियाविधि क्रमशः मात्र जुलाई 2003 और अगस्त 2003 में अधिसूचित की गयी। नए फार्म में ई-टी डी एस विवरणियों की प्राप्ति के लिए सुविधाएं (टी आई एन - एफ सी) भी जनवरी 2004 में कार्यात्मक हुईं। इसके परिणामस्वरूप कर कटौतीकर्ताओं का दस्तावेज में विवरणियां दाखिल करना जारी रहा जिसे डिजीटाईज़ नहीं किया जा सका और अवैध/दोषपूर्ण घोषित कर दिया गया। उन कर कटौतीकर्ताओं से पुनः अपनी ई-टी डी एस विवरणियां दाखिल करने के लिए कहा गया जिन्होंने जून 2003 और जनवरी 2004 के बीच दस्तावेज में टी डी एस विवरणियां दाखिल की थीं जो विभाग द्वारा पर्याप्त तैयारी के अभाव को दर्शाता है।

महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार में एन एस डी एल ने उन दाखिल करने वालों की एक सूची उपलब्ध करायी जिन्होंने आई टी डी (अगस्त 2004) को नए फार्मों में टी डी एस विवरणियां दाखिल करने के उपरोक्त अनुदेश का अनुपालन नहीं किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि इन दाखिल न करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

2.13.2 ई- टी डी एस प्रणाली के लिए प्रशिक्षित श्रमबल

बदले हुए परिवेश में भिन्न श्रेणी के प्रयोक्ता के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का औपचारिक निर्धारण और उनके लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण माडयूलों का विकास अपेक्षित था। इसलिए निरन्तर मानीटरिंग और पाठ्यक्रम को सही बनाने वाला व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन किया जाना था। लेखापरीक्षा में इसके अधिकारियों और स्टाफ को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र की पर्याप्तता की जांच करने की मांग की गयी।

तमिलनाडु चेन्नई प्रभार में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2004-05 में मात्र कुछेक कर्मचारी (51) ई-टी डी एस माडयूल पर प्रशिक्षित किए गए। **दिल्ली प्रभार** में ई-टी डी एस माडयूल पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए

[E] ***आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली वह प्रणाली है जिसके माध्यम से बैंक अपनी सभी नामजद शाखाओं में संगृहीत कर के लिए कर संग्रहण सूचना अपलोड करते हैं***

गए। **उत्तर प्रदेश** में यह ध्यान में आया कि स्टाफ को ई टी डी एस इकाइयों का कोई उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया। **कर्नाटक, बंगलौर प्रभार** में यह बताया गया कि उन अधिकारियों को कम्प्यूटर मीडिआ में टी डी एस विवरणियों की प्रक्रिया में प्रशिक्षित नहीं किया गया जिनके पास वर्तमान में टी डी एस इकाइयों का प्रभार था। **झारखंड, रांची प्रभार** में और **पंजाब** में पांच प्रभारों* में विभाग ने बताया कि ई-टी डी एस कार्यों पर तैनात स्टाफ प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2007) में बताया कि विभाग के 512 अधिकारियों/कर्मचारियों को ई- टी डी एस प्रचालनों में प्रशिक्षित किया गया था। तथापि अपर्याप्त प्रशिक्षण को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं और ई टी डी एस विवरणियों की प्रक्रिया की कम प्रमात्रा (पैरा 2.13.5 देखें) के मद्देनजर मंत्रालय इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.13.3 दस्तावेज की विवरणियों का डिजीटाईज़ेशन

आई टी डी के साथ दाखिल की गयी वित्तीय वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लिए दस्तावेज वाली टी डी एस विवरणियां जून 2004 तक डिजीटाइजेशन और अपलोडिंग के लिए एन एस डी एल को भेजी जानी अपेक्षित थीं। एन एस डी एल द्वारा वापस भेजी गयी दोषपूर्ण विवरणियों को दाखिल करने वाले से आई टी डी द्वारा सही किया जाना था और उन्हें डिजीटाइजेशन के लिए पुनः भेजा गया।

2.13.3.1 डिजीटाइजेशन के लिए न भेजी गयी विवरणियां

दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मुम्बई और उत्तर प्रदेश में यह पाया गया कि डिजीटाइजेशन के लिए पहचान की गयी 1.27 लाख दस्तावेज वाली विवरणियां समीक्षा की अवधि के दौरान डिजीटाइजेशन के लिए एन एस डी एल को नहीं भेजी गयीं।

2.13.3.2 एन एस डी एल के पास लम्बित विवरणियां

बिहार, दिल्ली कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह पाया गया कि डिजीटाइजेशन के लिए विभाग द्वारा भेजी गयी विवरणियों में से 50831 विवरणियों पर एन एस डी एल द्वारा अभी कार्रवाई की जानी थी। **दिल्ली** में भी यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित एक भी दस्तावेज वाली विवरणी एन एस डी एल द्वारा डिजीटाइज़ नहीं की गयी थी (मई 2006)।

लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2007) कि दिल्ली प्रभार में 2002-03 से सम्बन्धित 4687 विवरणियां 30 नवम्बर 2006 तक डिजीटाइज और अपलोड की गयी थीं।

2.13.4 मानीटरिंग में अपर्याप्तताएं

तमिलनाडु, चेन्नई प्रभार में एन एस डी एल द्वारा प्राप्त की गयी 1.58 लाख टी डी एस विवरणियों में से मात्र 1.52 लाख विवरणियां आर सी सी, चेन्नई में अपलोड की गयी थीं। **केरल, कोच्चि** और **तिरूवनन्तपुरम** प्रभार में यह पाया गया कि एन एस डी एल से इन प्रभारों को अपलोड किए गए के रूप

* **अमृतसर और लुधियाना प्रत्येक में दो रेंज और मोगा, जगरांव में एक रेंज**

में दर्शायी गयी टी डी एस विवरणियों की कुल संख्या 32382 थी जबकि मात्र 11500 ई- टी डी एस विवरणियां क्षेत्राधिकारिक बार्डों द्वारा अभिगमन हेतु आनलाइन उपलब्ध थी। **बिहार, पटना प्रभार** में यह पाया गया कि 21 टी डी एस विवरणियां एन एस डी एल द्वारा गलत जगह पर रखी गयीं।

मंत्रालय ने जनवरी 2007 में केरल के लिए अद्यतन आंकडे उपलब्ध कराते हुए बताया कि ई- टी डी एस विवरणियां प्रणाली में रखी जा सकती हैं और दाखिल की गयी सभी टी डी एस विवरणियों को आयकर विभाग की प्रणाली में अपलोड़ किया जाता है। तथापि केरल के सम्बन्ध में अद्यतन आंकडों में 9,491 विवरणियों का अन्तर दर्शाया जाना जारी रहा। पटना में गलत जगह पर रखी गयी विवरणियों के मुद्दे को मंत्रालय द्वारा भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2.13.5 ई- टी डी एस विवरणियों का प्रक्रमण

टी डी एस इकाइयों को देय कर और काटे गए कर, समय पर प्रेषणों, टी डी एस प्रमाणपत्रों की परिशुद्वता और प्रमाणिकता, ब्याज और शास्ति, जहां कहीं लागू हो, की उद्ग्राह्यता की जांच करनी थी।

2.13.5.1 सी आई टी (टी डी एस) **दिल्ली प्रभार** की तीन रेंजों में प्राप्त हुई और प्रक्रमित ई-विवरणियों की संख्या से सम्बन्धित डाटा में पता चला कि 2002-03 से 2004-05 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान औसत आधार पर 2 प्रतिशत से कम विवरणियां विभाग द्वारा प्रक्रमित की गयीं जैसाकि नीचे तालिका 15 में विवरण दिया गया हैः

तालिका 15 : प्रक्रमित ई- विवरणियों की स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्राप्त हुई ई-विवरणियां	प्रक्रमित ई- विवरणियां	अप्रक्रमित ई-विवरणियां
2002-03	5605	20	5585
2003-04	33772	1332	32440
2004-05	60820	739	60081
2005-06	49649	969	48680

लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2006) कि गैर प्रक्रमण साफ्टेवयर की कठिनाइयों, संयोजकता और श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण था।

2.13.5.2 **तमिलनाडु, चेन्नई प्रभार** में विभाग ने बताया कि विवरणियों का प्रक्रमण कम्प्यूटर द्वारा नहीं किया गया चूंकि विवरणियों के प्रक्रमण के लिए की गई सभी परीक्षण जाँचों के परिणामस्वरूप मांगे रहीं चूंकि उन कटौती कराने वालों के सम्बन्ध में क्रेडिट विवरण उपलब्ध नहीं थे जिनका पान उद्धृत नहीं किया गया था। डी आई टी (सिस्टमस) द्वारा बार-बार अनुदेशों के बावजूद किसी भी विवरणी का कम्प्यूटर द्वारा प्रक्रमण नहीं किया गया (अगस्त 2006)। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में 25 स्टेशन आर सी सी के साथ जुड़े हुए नहीं थे और इसलिए निर्धारण अधिकारी विवरणियों के प्रक्रमण की स्थिति में नहीं थे।

2.13.5.3 **महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार** में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान प्राप्त हुई 17158 विवरणियों में से मात्र 2531 ई- टी डी एस विवरिणियां (14.75%) प्रक्रमित कीं। यह भी

सूचित किया गया कि ई- टी डी एस विवरणियों का प्रक्रमण मुख्यतया साफ्टवेयर की कठिनाइयों और प्रशिक्षित श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण उपयुक्त ढंग से नहीं किया जा सका।

2.13.5.4 **कर्नाटक, बंगलौर प्रभार** में नमूनाजांच में पता चला कि विवरणियों का प्रक्रमण पूर्णतया नहीं किया गया था चूंकि ई- टी डी एस प्रकमण से सम्बन्धित पैकेज ए एस टी के माध्यम से कार्य नहीं कर रहा था। संयोजकता मुद्दे और अपर्याप्त प्रशिक्षित श्रमबल भी था। लेखापरीक्षा में यह भी ध्यान में आया कि एक कम्पनी (निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए मैसर्ज बी पी एल टेलीकाम लिमिटेड) से सम्बन्धित ई- टी डी एस विवरणी के मामले में टी आई एन एफ सी ने कई कटौती कराने वालों (3257 की कुल संख्या में से 2656 कटौती कराने वाले) के सम्बन्ध में त्रुटियां बताई थीं (दिसम्बर 2004)। तथापि न तो निर्धारिती और न ही विभाग ने इन त्रुटियों का परिशोधन करने के लिए कोई कार्रवाई की है (जून 2006)। लेखापरीक्षा में यह भी ध्यान में आया कि बंगलौर से बाहर निर्धारण अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे ई- टी डी एस विवरणियों (जून 2006) के प्रक्रमण में बाधा आई।

2.13.5.5 **उड़ीसा प्रभार** में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005-06 से सम्बन्धित प्राप्त हुई 3696 विवरणियों (0.70%) में से मात्र 26 ई- टी डी एस विवरणियां प्रक्रमित की गयी थीं।

2.13.5.6 **झारखंड, रांची और धनबाद प्रभारों** में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह पता चला कि स्रोत पर काटे गए कर और सरकारी लेखा में क्रेडिट की परिशुद्धता को अभिनिश्चित करने के लिए 2003-04 से 2005-06 वर्षों के लिए किसी भी ई- टी डी एस विवरणियों की जांच नहीं की गयी। निर्धारण अधिकारियों द्वारा आगे यह बताया गया कि उनके पास टी डी एस इकाइयों का अतिरिक्त प्रभार था और इकाइयों के पुराने प्रभारी अधिकारियों द्वारा की गयी संवीक्षा, यदि कोई हो, की उन्हें जानकारी नहीं थी।

2.13.5.7 **उत्तर प्रदेश, मेरठ प्रभार** में लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी डी एस इकाईयों में कोई कम्प्यूटर नहीं थे। **कानपुर प्रभार** में कम्प्यूटर गैर कार्यात्मक हो गए जबकि **आगरा प्रभार** में वे आंशिक रूप से कार्यात्मक थे। **हिमाचल प्रदेश, सोलन, मंडी और पालमपुर प्रभारों** में यह पाया गया कि विवरणियों के प्रक्रमण में निर्धारण अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिए आनलाइन संयोजकता वाले कम्प्यूटर नहीं थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2007) में प्राप्त हुई और प्रक्रमित विवरणियों के अद्यतन विवरण उपलब्ध कराए जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त विवरणियां				
क्र स.	**आर सी सी**	**प्रक्रमण के लिए उपलब्ध विवरणियों की संख्या**	**प्रक्रमित विवरणियों की संख्या**	**कालम 3 के प्रति कालम 4 की प्रतिशतता**
1.	दिल्ली	2,13,491	38,823	18
2	बंगलौर	1,34,615	6,398	4

3	त्रिवेन्द्रम	14,514	398	3
4.	कोचीन	26,338	511	2
5	चेन्नई	87,834	1,675	2
6	पुणे	49,273	471	1
7	मुम्बई	2,23,498	5,912	2
8	कोलहापुर	8,693	462	5
9	पटियाला	35,832	2,100	6
10	बरोडा	24,053	1,099	5
11	अहमदाबाद	41,921	462	1

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ई-टी डी एस विवरणियों के तेजी से प्रक्रमण में समर्थ बनाने के लिए हाल ही में टी डी एस साफ्टवेयर में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। ई- टी डी एस विवरणियों के बड़ी संख्या में प्रक्रमित न होने के मद्देनजर मंत्रालय सरकारी राजस्व के हितों के रक्षोपाय के लिए स्थिति पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.13.6 टी डी एस साफ्टवेयर से सम्बन्धित मुद्दे

ई- टी डी एस साफ्टवेयर की एक स्वतः पूर्ण तंत्र के रूप में परिकल्पना की गयी जो विवरणी दाखिल करने से रोकने वालों और विवरणी दाखिल न करने वालों की पहचान करने; ओ एल टी ए एस में उपलब्ध डाटा के साथ विवरणी में कर प्रेषण डाटा को सदृश बनाने; लागू दरों पर कर के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज की संगणना करने; मांग नोटिस तैयार करने और एक विशेष निर्धारण वर्ष के दौरान और भिन्न निर्धारण वर्षों के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए लागू सिस्टम फैड ब्याज और अधिभार की दरों को लागू करने में विभाग को समर्थ बनाएगा। साफ्टवेयर के कार्यचालन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित का पता चला;

2.13.6.1 महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार में विभाग ने अद्वितीय विवरणी दाखिल करने वालों के बीच सहसम्बन्ध न होने और कर कटौतीकर्ताओं को आंबटित टेन से सम्बन्धित कठिनाईयों ई- टी डी एस विवरणियों और ओ एल टी ए एस के बीच प्रेषण डाटा के बेमेल होने के साथ कठिनाईयों जैसे चालान की तारीख (प्रस्तुत करने और अनुमोदन करने की तारीख) में अन्तर ब्याज को छोड़ देने के कारण कर की राशि में अन्तर, ओ एल टी ए एस में वैधीकरण की अनुपलब्धता का सामना किया जिससे टेन के बिना विवरणियां दोषपूर्ण आदि के रूप में चिन्हित की गयीं। यह देखा गया कि ये असंगतियां ई- टी डी एस योजना के कार्यान्वयन के दो वर्ष बाद भी जारी रहीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2007) में बताया कि अद्वितीय ई- टी डी एस विवरणी दाखिल करने वालों और कटौतीकर्ताओं को आबंटित टेन का मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है और ई-टी डी एस विवरणियों और एल टी ए एस के बीच प्रेषण डाटा को सदृश करने की कठिनाई का ई- टी डी एस साफ्टवेयर में किए गए अद्यतन परिवर्तनों द्वारा बड़ी सीमा तक निपटान किया जा चुका है।

2.13.6.2 कर्नाटक, बंगलौर प्रभार में नमूना जांच में पता चला कि क्षेत्राधिकार, जिसका प्राप्त की गयी कटौती की प्रमात्रा पर निर्णय किया गया, के तादात्म्य में निष्क्रियता थी और इसमें थोक में अभिलेखों के अंतरण के लिए प्रावधान नहीं था जो विवरणियों के कम्प्यूटरीकृत प्रक्रमण से प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख

लाभों में से एक था। यह भी पाया गया कि जहां एक विशेष विवरणी एक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित हो और अगले वित्तीय वर्ष में इसके तदनुरूपी भुगतान किए गए हों वहां यद्यपि प्रणाली में खाता लेखा में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है तथापि आवर्तिता कुंजी में कठिनाई के कारण शुद्धियाँ की जानी अनुमत नहीं की गयीं। यह भी पाया गया कि प्रणाली में छांटे गए डाटा को तैयार करना अनुमत नहीं किया गया यद्यपि डाटा विवरणी प्राप्ति रजिस्टर (आर आर आर) में समेकित रूप में उपलब्ध था।

मंत्रालय ने जनवरी 2007 के अपने उत्तर में बताया कि चूंकि भिन्न क्षेत्राधिकारिक प्रतिमानों का अनुसरण किया जाता है इसलिए सामान्यीकृत साफ्टवेयर विकसित किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आवर्तिता कुंजी में कोई कठिनाई नहीं पाई गई और प्रणाली किसी छांटे गए क्रम में रिपोर्टें तैयार कर सकती थी। तथापि क्षेत्र से प्राप्त उत्तरों में उस क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक कठिनाईयां दर्शाई गईं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2.13.6.3 ई- टी डी एस साफ्टवेयर में विवरणी दाखिल न करने वाले को एक कटौतीकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने टेन प्राप्त कर लिया है परन्तु एक विवरणी दाखिल नहीं की। यह ध्यान में आया कि ई- टी डी एस साफ्टवेयर में टेन विवरणियों के साथ ओ एल टी ए एस माडयूल में उद्धृत चालान प्रविष्टियां सम्बद्ध करने के लिए एक उपयुक्त वैधीकरण जांच करने का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान नहीं था कि कर प्रेषित करने वाले सभी कटौतीकर्ताओं ने वास्तव में अपेक्षित विवरणियां दाखिल कीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2007) में बताया कि उन कटौतीकर्ताओं की पहचान करने के लिए ओ एल टी ए एस चालान प्रविष्टियों को ई- टी डी एस साफ्टवेयर में सम्बद्ध करने के लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन किए जाएंगे जिन्हें कर प्रेषित किया है परन्तु अपनी टी डी एस विवरणियां दाखिल नहीं कीं।

2.13.7 ई- विवरणियों की साफ्ट प्रतियों की जांच करने और भंडारण के लिए तंत्र

ई- टी डी एस योजना के अन्तर्गत ई- इंटरमीडियरी से इलेक्ट्रानिक मीडिआ जैसे फ्लापी, सी डी आदि में प्राप्त विवरणियां भावी संदर्भ के लिए अभिलेखों के रूप में परिरक्षित की जानी अपेक्षित होती हैं। प्राप्त की गयी विवरणियों के उपयुक्त लेखांकन के लिए विभाग ने मैगेनेटिक "मीडिया के लिए स्टाक रजिस्टर" के रखरखाव के लिए विशेष क्रियाविधि निर्धारित की।

दिल्ली प्रभार में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान फ्लापियों/सी डी के किसी स्टाक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया और न ही उसकी जांच करने की कोई प्रणाली है। फ्लापी/सी डी में विरणियां उनके सारांश और वैद्यता को सुनिश्चित किए गए बिना प्राप्त करने और मैगनेटिक मीडिआ में अभिलेखों के भंडारण और परिरक्षण की एक उपयुक्त प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण भी भावी संदर्भ के लिए उसके भंडारण का प्रयोजन विफल हो गया।

समापन सम्मेलन के दौरान मंत्रालय मैगनेटिक मीडिआ में अभिलेखों के परिरक्षण और भंडारण के लिए अनुदेशों की पुनरावृत्ति पर सहमत हुआ।

खंड ड. स्रोत पर कर का संग्रहण

2.14 प्रस्तावना

स्रोत पर कर के संग्रहण (टी सी एस) के लिए अधिदेश का 1 जून 1988 से वित्त अधिनियम 1988, जिसमें उत्तरवर्ती वित्त अधिनियमों द्वारा संशोधन किया गया है, द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के **अध्याय xvii में " भाग बी बी - स्रोत पर संग्रहण"** की प्रस्तावना द्वारा प्रावधान किया गया है ।

" भाग बी बी " के कार्यक्षेत्र में पहले एलकोहल वाली शराब, वन उत्पाद, तेंदु के पत्ते, छीजन और इमारती लकड़ी में विपणन के कारबार को शामिल किया गया जिसमें ठेका अथवा लाइसेंस अथवा खेपों को रखने के स्थान के पट्टे, टाल प्लाज़ा और खनन और उत्खनन को शामिल करने के लिए 1 अक्तूबर 2004 से वित्त अधिनियम 2004 द्वारा बाद में संशोधन किया गया। कर की आगामी दरें, जो मूल रूप में पांच से पन्द्रह प्रतिशत तक थीं, घटाकर एक प्रतिशत से दो प्रतिशत तक कर दी गयीं।

टी डी एस विवरणियों और सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा 2002-03 से 2005-06 तक लेखापरीक्षा की तारीख तक की अवधि के लिए 246 टी डी एस इकाइयों में टी डी एस अभिलेखों की संवीक्षा के साथ-साथ की गयी और उस पर अभ्युक्तियों का नीचे उल्लेख किया गया हैः

2.14.1 स्रोत पर कर के संग्रहण में राजस्व का अन्तर

व्यापार के स्वरूप और संग्रहण की सुविधा के कारण एलकोहल वाली शराब में विपणन के कारबार से लाभों और अभिलाभों पर आय कर स्रोत पर संगृहीत किया जाता है। मानव खपत के लिए एलकोहल की शराब की बिक्री के समय प्रत्येक व्यक्ति 8 सितम्बर 2003 से (इस तारीख से पहले कर के संग्रहण की दर 10 प्रतिशत थी) बिक्री कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि का क्रेता से संग्रहण करता है।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आठ चुने गए राज्यों के वित्त लेखाओं के एक अध्ययन में पता चला कि मानव खपत के लिए एलकोहल वाली शराब की बिक्री के कारण राज्य सरकार को उद्भूत राजस्व में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी। तथापि स्रोत पर करों का संग्रहण राज्य सरकारों के उत्पादशुल्क राजस्व के अनुपात में नहीं है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

तालिका 16 : बेची गयी शराब का मूल्य ♣

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	1753.57	2056.13	1979.76
तमिलनाडु	2061.42	1613.20	2512.19
पश्चिम बंगाल	565.09	616.67	507.93

♣ शराब के कुल पण्यावर्त का लघु शीर्ष 101- देशी स्पिरिट 102-देशी किण्वित शराब,103-यवरस, 104-शराब और 105-विदेशी शराब एवं स्पिरिट जो मानव खपत के लिए शराब पर संगृहीत उत्पादशुल्क से सम्बन्धित है को कवर करते हुए मुख्य शीर्ष 0039 के अन्तर्गत राज्य उत्पादशुल्क संग्रहणों के बराबर संतुलित रूप से अनुमान लगाया गया है जैसा कि सुसंगत वर्ष के लिए सम्बन्धित राज्यों के वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है।

मध्य प्रदेश	816.52	1001.05	1159.35
पंजाब	1284.58	1398.29	1465.23
आंध्र प्रदेश	1797.74	1856.98	2036.44
कर्नाटक	1921.53	2201.42	2698.15
हरियाणा	823.89	865.68	922.22
जोड़	**11024.34**	**11609.42**	**13281.27**

(करोड़ रूपए में)

तालिका 17 : स्त्रोत पर संगृहणीय कर

वर्ष	**कर कटौती की दर**	**राशि**	**सी जी ए के अनुसार टी सी एस की राशि ***
2002-03	10% की दर पर	**1102.43**	**57.76**
2003-04**	संग्रहणों के आधे पर 10% की दर पर	**580.47**	**125.97**
	संग्रहणों के आधे पर 1% की दर पर	**58.04**	
2004-05	वर्ष के लिए 1% की दर पर	**132.81**	**211.90**
	जोड़	**1873.75**	**395.63**

* महालेखा नियंत्रक

** स्त्रोत पर काटे जाने वाले कर की दर 08.09.2003 से दस प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की गयी और इसलिए टी सी एस भिन्न दरों पर संगणित किया गया।

शराब की बिक्री के सम्बन्ध में स्त्रोत पर संगृहणीय और वास्तव में संगृहीत के रूप में दर्शाए गए कर के बीच भारी विसंगतियों की विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय समापन सम्मेलन के दौरान मुद्दे की जांच करने पर सहमत हुआ।

2.14.2 टी सी एस प्रावधान लागू करना

लेखापरीक्षा में **बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रभारों** से सम्बन्धित 38 मामलों में अधिभार/ब्याज/शास्ति के अनुद्ग्रहण; विवरणियों का दाखिल न करना, विलम्ब से दाखिल करना; दोषपूर्ण टी सी प्रमाण पत्र आदि जैसी गलतियां ध्यान में आई जिनमें 3.97 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिसमें 81.48 लाख रूपए का कर और 3.16 करोड़ रूपए का ब्याज और शास्ति शामिल है।

2.14.3 स्रोत पर कर के संग्रहण की चूक

लेखापरीक्षा में 16 मामलों में स्रोत पर कर का संग्रहण करने की चूक से सम्बन्धित गलतियां ध्यान में आई जिनमें 3.90 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जिनमें से **दो मामले** नीचे सोदाहरण दिए गए हैं।

2.14.3.1 महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार में मैसर्ज भारतीय जहाजरानी निगम ने 2003-04 और 2004-05 वित्तीय वर्षों के दौरान छीजन की बिक्री के कारण 39.68 करोड़ रूपए और 146.41 करोड़ रूपए की आय अर्जित की। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि न तो निर्धारिती ने स्रोत पर कर संगृहीत किया और न ही विभाग ने आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की। ऐसा करने की विफलता के परिणामस्वरूप 1.94 करोड़ रूपए का स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं हुआ जो 45.37 लाख रूपए के ब्याज के अलावा अधिभार और शिक्षा उपकर सहित था। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर विभाग मुद्दे की जांच पर सहमत हुआ।

2.14.3.2 महाराष्ट्र , मुम्बई प्रभार में मैसर्ज ओ एन जी सी ने अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2003 तक की अवधि के दौरान 8.77 करोड़ रूपए की राशि के छीजन की बिक्री की। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि न तो निर्धारिती ने स्रोत पर कर संगृहीत किया और न ही विभाग ने आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की। ऐसा करने की विफलता के परिणामस्वरूप 50.62 लाख रूपए का स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं हुआ जिसमें 14.68 लाख रूपए के ब्याज के अलावा अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल था। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर विभाग मुद्दे की जांच करने पर सहमत हुआ।

2.14.4 निर्धारण से छूट गयी आय

झारखंड, धनबाद प्रभार में यह ध्यान में आया कि निर्धारण वर्ष 2004-05 में चार निर्धारितियों ने सुसंगत टी सी एस प्रमाणपत्रों में दर्शाए गए खरीद मूल्य से अधिक शराब की खरीद डेबिट की जिसके परिणामस्वरूप 3.52 करोड़ रूपए की आय निर्धारण से छूट गयी जिसमें 1.31 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां विभाग द्वारा स्वीकार की गयीं

2.14.5 टी सी एस विवरणियों का प्रक्रमण

कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल की गयी टी सी एस विवरणियों के प्रक्रमण और निर्धारण के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई विशेष प्रावधान उपलब्ध नहीं है। **दिल्ली प्रभार** में नौ चयनित इकाइयों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 2002-03 से 2005-06 वित्तीय वर्षों के लिए टी सी एस विवरणी इन वर्षों के दौरान दाखिल की गयी 440 विवरणियों के प्रति प्रक्रमित की गयी। **बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (कोलकाता प्रभार)** में भी टी सी एस विवरणियां प्रक्रमित नहीं की गयीं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 119 के अन्तर्गत बोर्ड में निहित शक्तियों के अनुसार बोर्ड विवरणियों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए और अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न रिआयतों का लाभ उठाने के लिए भी निर्धारण इकाइयों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करने के लिए चयन मापदंड निर्धारित करता रहा है।

तथापि टी डी एस इकाइयों के अधिकारियों द्वारा संवीक्षा के लिए टी सी एस विवरणियों के चयन के लिए वित्तीय वर्षों में से किसी में भी बोर्ड द्वारा अब तक ऐसा कोई चयन मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। **दिल्ली प्रभार** में टी डी एस इकाइयों टी सी एस विवरणियों के प्रक्रमण के लिए अपनाए गए चयन मापदंड का उल्लेख करने में असमर्थ रही।

मंत्रालय ने जनवरी 2007 के अपने उत्तर में बताया कि उपयुक्त क्रियाविधि विचाराधीन है जो टी डी एस/टी सी एस विवरणियों की समय सीमा और सत्यापन की क्रियाविधि निर्दिष्ट करेगा।

2.15 निष्कर्ष और सिफारिशें

2.15.1 स्रोत पर कर की कटौती/संग्रहण न करने के अलावा कतिपय क्षेत्रों में टी डी एस और टी सी एस के लिए संभाव्यता के बीच भारी अन्तर पाया गया। प्रभावी कर कटौतीकताओं की संख्या में गिरती हुई प्रवृत्ति पाई गई। अनेक मामलों में या तो सर्वेक्षण नहीं किए जा रहे थे अथवा सर्वेक्षणों की रिपोर्टों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। *लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मंत्रालय सभी कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहणर्ताओं को कर जाल में लाने के लिए और वसूली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है।*

समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड ने मुद्दे की जांच करने पर सहमत होते हुए बताया कि टी डी एस प्रशासन को अतिरिक्त श्रमबल द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। बोर्ड ने यह भी बताया कि अनावश्यकता में कमी करने के लिए कर कटौतीकर्ताओं का डाटाबेस अद्यतन किया जा रहा है।

2.15.2 निवासियों और अनिवासियों के सम्बन्ध में टी डी एस/टी सी एस से सम्बन्धित प्रावधानों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कई गलतियां पाई गई। *लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि निर्धारण में संगतता को सुनिश्चित करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्याप्त प्रवर्तन तंत्र विकसित किया जाए। टी डी एस और नियमित निर्धारण इकाइयों के बीच और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में भी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।*

समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में विचार करने पर सहमत हुआ और यह भी बताया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को पुनः तत्काल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी।

2.15.3 ई- टी डी एस की समीक्षा में दर्शाया गया कि दाखिल की गयी ई- टी डी एस विवरणियां बड़े स्तर पर साफ्टवेयर सम्बन्धी कठिनाईयों और प्रशिक्षित श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण पिछले तीन वर्षों के लिए अप्रक्रमित रहीं। मैगनेटिक मीडिआ में अभिलेखों के परिरक्षण और भंडारण के लिए भी कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं थी। *लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि इन कठिनाइयों पर तत्काल ध्यान दिया जाए ताकि ई- टी डी एस विवरणियां प्रक्रमित हों और सरकार को देय राजस्व की उगाही हो सके। इसके अतिरिक्त मैगनेटिक मीडीआ में अभिलेखों के भंडारण और परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं।*

समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड ने बताया कि ई-टी डी एस विवरणियों के तेजी से प्रक्रमण में समर्थ बनाने के लिए हाल ही में टी डी एस साफ्टवेयर में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। बोर्ड मैगनेटिक मीडिया में अभिलेखों के परिरक्षण और भंडारण के लिए अनुदेशों की पुनरावृत्ति करने पर भी सहमत हुआ।

2.15.4 आयकर अधिनियम में नियमित निर्धारणों के असदृश टी डी एस/टी सी एस विवरणियों का प्रक्रमण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। *लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि टी डी एस/टी सी एस निर्धारणों के समापन के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि सरकार को देय किन्ही राजस्व की शीघ्र उगाही सुनिश्चित की जा सके।*

समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड ने बताया कि एक उपयुक्त प्रक्रमण विचाराधीन है जिसमें टी डी एस/टी सी एस विवरणियों की समय सीमा और सत्यापन के लिए क्रियाविधि निर्दिष्ट की जाएगी।

2.15.5 लेखांकन में गलत वर्गीकरण और "उचंत" के अन्तर्गत भारी शेष भी ध्यान में आए। *लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि मंत्रालय इस पहलू की जांच कर सकता है और अन्तरों का समाधान करने के लिए कदम उठा सकता है।*

समापन सम्मेलन के दौरान बोर्ड विस्तार से मुद्दे की जांच करने पर सहमत हुआ और इसने सूचित किया कि उचंत को कम करने के लिए उपाय बीच में ही थे।